उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 7 | अंक 11 | 1-15 जून 2024 | ₹ 20/-

लोकसभा के चुनाव परिणाम उर्दू अखबारों की नजर में

- लोकसभा के लिए 24 मुस्लिम सांसद निर्वाचित
- विभिन्न देशों से अफगान नागरिक निष्कासित
- गाजा में युद्धविराम हेतु सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पारित
- फिल्म 'हमारे बारह' की रिलीज की अनुमति

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

लोकसभा के चुनाव परिणाम उर्दू अखबारों की नजर में 04
उर्दू अखबारों में संघ प्रमुख के उद्बोधन की चर्चा 10
फिल्म 'हमारे बारह' की रिलीज की अनुमति 18
लोकसभा के लिए 24 मुस्लिम सांसद निर्वाचित 21
जफरुल इस्लाम खान मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत के अध्यक्ष निर्वाचित 24

विश्व

विभिन्न देशों से अफगान नागरिक निष्कासित 28
मालदीव में इजरायलियों के प्रवेश पर प्रतिबंध 29
खैबर पख्तूनख्वा में हुए बम धमाके में सात सैनिकों की मौत 30
संयुक्त राष्ट्र ने चार तालिबान नेताओं पर लगा यात्रा प्रतिबंध हटाया 31
इंडोनेशिया में पैगंबर का अपमान करने पर सजा 32

पश्चिम एशिया

गाजा में युद्धविराम हेतु सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पारित 33
भीषण गर्मी के कारण लगभग 1500 हाजियों की मौत 34
सऊदी अरब में भ्रष्टाचार चरम पर 37
अमेरिका द्वारा तुर्किये को सैन्य विमानों की सप्लाई 38
सोमालिया में इस्लामी आतंकवादियों द्वारा 55 लोगों की हत्या 39

सारांश

उर्दू अखबारों ने लोकसभा के चुनाव परिणामों पर टिप्पणी करते हुए मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी को अपना निशाना बनाया है। अधिकांश अखबारों ने अपने संपादकीय में यह मत व्यक्त किया है कि मुसलमानों, दलितों और पिछड़े वर्ग के विरोध के कारण भाजपा अपने बलबूते बहुमत प्राप्त करने में विफल रही है। उसे सत्ता में आने के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा है। उर्दू अखबारों ने अपने संपादकीय में इस बात का भी उल्लेख किया है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनके सहयोगियों ने मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत का अभियान चलाया था उसे देश की जनता ने पसंद नहीं किया। उर्दू अखबारों ने यह आशा व्यक्त की है कि हाल के चुनाव परिणामों के कारण मोदी की तानाशाही प्रवृत्तियों पर लगाम लगेगी और वे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के प्रयास में सफल नहीं होंगे।

उर्दू अखबारों ने उत्तर प्रदेश में भाजपा के खराब प्रदर्शन पर प्रसन्नता व्यक्त की है और कहा है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर बनाकर भाजपा ने हिंदू मतों के ध्रुवीकरण का जो प्रयास किया था उसमें उसे सफलता नहीं मिली है। अधिकांश अखबारों ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि देश के इतिहास में पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में किसी भी मुस्लिम मंत्री को शामिल नहीं किया गया है। हालांकि, 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया था उसमें तीन मुस्लिम मंत्री शामिल थे।

उर्दू अखबारों ने हज के समाचारों को बहुत ही प्रमुखता से प्रकाशित किया है और कहा है कि कई सालों के बाद पहली बार लगभग 24 लाख हाजी हज कर रहे हैं, जिनमें भारतीय हाजियों की संख्या भी पौने दो लाख के लगभग है। अखबारों ने सऊदी अरब सरकार द्वारा हाजियों को उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधाओं का भी विस्तृत रूप से उल्लेख किया है और कहा है कि हज के दौरान शांति बनाए रखने के लिए सऊदी सुरक्षा बलों ने मक्का से तीन लाख विदेशियों को हिरासत में लिया है, क्योंकि उनके पास हज के परमिट नहीं थे। सऊदी सरकार द्वारा इतनी व्यवस्था करने के बावजूद भीषण गर्मी की वजह से लगभग डेढ़ हजार हाजियों की मौत हो गई है।

उर्दू अखबारों ने नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम के दौरान सरसंघचालक मोहन भागवत के उद्बोधन का मोटे तौर पर स्वागत किया है और कहा है कि उनकी यह सलाह उचित है कि चुनाव अभियान में मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अनिवार्य हिस्सा है, जिसमें विभिन्न दल भाग लेते हैं। इन चुनावी अभियानों में एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाना और मर्यादाहीन आलोचना करना उचित नहीं है। मोहन भागवत ने यह मशवरा दिया कि विपक्ष को विरोधी पक्ष कहने के बजाय प्रतिपक्ष कहना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जो मर्यादा का सम्मान करते हुए काम करता है उसे घमंड नहीं होता और सही मायने में वही जनता का सेवक होता है। कुछ अखबारों ने अपने संपादकीय और लेखों में यह संदेह व्यक्त किया है कि सरकार और संघ के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए हैं। यही कारण है कि मोहन भागवत को अपने संबोधन में इस तरह की नसीहत देनी पड़ी है।

देश के विभिन्न मुस्लिम संगठनों के अम्ब्रेला संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत के अधिवेशन में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. जफरुल इस्लाम खान को दो वर्ष के लिए फिर से मुशावरत का अध्यक्ष चुन लिया गया है। मुशावरत की बैठक में हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव परिणामों पर संतोष व्यक्त किया गया है और विपक्षी दलों से अनुरोध किया गया है कि वे सेक्युलरिज्म और संविधान की रक्षा के लिए एकजुट हो जाएं। गौरतलब है कि ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत का गठन 1964 में लखनऊ में किया गया था। बाद में इस संगठन में विभाजन हो गया था। 10 साल पहले दोनों गुटों में फिर से एकता स्थापित हुई थी। उस समय नवगठित मुशावरत का नया अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान को बनाया गया था और सैयद शहाबुद्दीन ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था।

लोकसभा के चुनाव परिणाम उर्दू अखबारों की नजर में

उर्दू टाइम्स (5 जून) के अनुसार लोकसभा के चुनावी अभियान की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जिस तरह से 'अबकी बार 400 पार' का नारा लगा रहे थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस अंदाज में भाषण दे रहे थे उससे ऐसा लगता था कि ये लोग देश के मुसलमानों को खा जाएंगे और उनका नामोनिशान मिटा देंगे। अब भाजपा लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने में भी विफल रही है। अब उसे सरकार बनाने के लिए अनेक पार्टियों के पांव पकड़ने पड़ेंगे। जबकि इंडिया गठबंधन बहुमत से सिर्फ 34 सीटें ही दूर है। सवाल यह है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखियों पर टिकी मोदी सरकार कितने दिनों तक चल पाएगी?

उर्दू टाइम्स (6 जून) के अनुसार देश की जनता ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपने वोट दिए हैं और भाजपा द्वारा चलाए जा रहे नफरत के अभियान को ठुकरा दिया है। दुनिया में यह पहला मौका था जब सत्ता में बैठी किसी पार्टी ने अपने ही देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय को नफरत के अभियान में निशाना बनाया।

सियासत (5 जून) के अनुसार इन चुनावों में जनता ने संविधान व लोकतंत्र के पक्ष में और नफरत के खिलाफ वोट दिए हैं। भाजपा और एनडीए को इन चुनावों में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। जबकि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को जबर्दस्त सफलता मिली है। देश में एक मजबूत विपक्ष सामने आ गया है। इसके कारण देश में संविधान को बदलने और तानाशाही लाने का खतरा फिलहाल के लिए टल गया है। कांग्रेस जो प्रयास कर रही थी वह पूरे नहीं हुए। कांग्रेस मध्य प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीत पाई। गुजरात में उसे केवल एक सीट पर ही जीत मिली। कर्नाटक में कांग्रेस को आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिली। अगर इन राज्यों में कांग्रेस को 25-30 सीटें मिल जातीं तो मोदी दोबारा सत्ता में नहीं आते।

सियासत (9 जून) ने अपने संपादकीय में कहा है कि नरेन्द्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। पिछले दो कार्यकाल में

उन्होंने मनमाने ढंग से सरकार चलाई और यह कभी नहीं सोचा कि वे जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। उनके सामने किसी को सिर उठाने या सवाल करने की हिम्मत ही नहीं थी। भाजपा में भी कई ऐसे नेता थे, जो मोदी के तरीके से संतुष्ट नहीं थे, लेकिन वे उनसे भयभीत थे। जबकि कुछ ऐसे नेता भी थे, जिनका लक्ष्य सिर्फ राजनीति के मजे लूटना था। उन्होंने कभी जनता की समस्या को सरकार में उठाने का कोई प्रयास हीं नहीं किया। इसके अतिरिक्त जो पार्टियां विपक्ष में थीं उन्हें मोदी की ओर से जानबूझकर परेशान किया गया और उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। सरकार की अर्थव्यवस्था को मुट्ठी भर कॉर्पोरेट के हवाले कर दिया गया और सरकारी संपत्ति को कौड़ी के भाव में अपने चहेतों को बेचा गया, लेकिन अब मोदी अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी पार्टी को संसद में बहुमत प्राप्त नहीं है।

विभिन्न लोगों ने अपनी-अपनी नजर से लोकसभा के चुनाव का विश्लेषण किया है, मगर इस हकीकत को स्वीकार करना ही होगा कि गरीब और पिछड़े वर्ग के साथ-साथ मुसलमानों ने भी इस देश के लोकतंत्र, सेक्युलरिज्म और संविधान को बचाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सत्तारूढ़ दल द्वारा मुसलमानों के खिलाफ नफरत का सुनियोजित अभियान चलाया गया। इसके बावजूद मुस्लिम वोट एकजुट रहे और उन्होंने नफरत का अभियान चलाने वालों की कमर तोड़ दी। इंडिया गठबंधन की सफलता में उत्तर प्रदेश की जबर्दस्त भूमिका है और इसमें मुसलमानों के योगदान से कोई इंकार नहीं कर सकता। खास तौर पर महिलाओं ने मोदी को हराने में सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

कौमी तंजीम (10 जून) के अनुसार वक्त ने तानाशाहों के सिर पर खाक डाल दी है। भाजपा की सरकार पहले की तरह अब तानशाही तरीके से मनमानी नहीं कर पाएगी। उसकी हालत उस लाचार पहलवान की तरह होगी, जो हाथ में भीख का कटोरा लेकर अपने सहयोगियों से मदद की भीख मांगता है। इस बात की जबर्दस्त संभावना है कि जिन पार्टियों की बैसाखियों के सहारे मोदी सरकार टिकी है वे उसे ब्लैकमेल करेंगे। इस तरह से सरकार पर सत्ताविहीन होने का खतरा हमेशा मंडराता रहेगा। नई सरकार अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं कर सकेगी। लोकसभा चुनाव के नतीजे ने भाजपा के उस सपने को चकनाचूर कर दिया है जो उसने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए देखा था।

उर्दू टाइम्स (8 जून) के अनुसार लोकसभा के चुनाव परिणामों ने सभी राजनीतिक दलों को उनकी औकात दिखा दी है। अब उन्हें जनता की समस्याओं के समाधान पर ध्यान देना होगा। यह हकीकत है कि एक ताकतवर नेता को जनता ने बैसाखियों पर ला खड़ा किया है। अब जनता को इस लगाम को सख्ती से पकड़कर रखना होगा। इन चुनाव परिणामों ने यह भी साबित कर दिया है कि हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी हैं और जनता के दिलों में उसकी रक्षा के लिए कैसी भावना है। यही कारण है कि किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। हालांकि, एनडीए ने सरकार बना ली है, लेकिन अब भाजपा नफरत के अभियान को पहले की तरह जारी नहीं रख सकेगी। इस देश की

जनता और मिट्टी किसी भी अलोकतांत्रिक हरकत को स्वीकार नहीं करती है। इन चुनाव परिणामों ने भाजपा को समझा दिया है कि इस देश में 'सांप्रदायिक सद्भावना' और 'मोहब्बत की दुकान' कभी बंद नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश में मथुरा और काशी के नाम पर जो उत्तेजनात्मक माहौल बनाने की कोशिश की गई थी उसे जनता ने पूरी तरह से ठुकरा दिया है। इन चुनाव परिणामों ने इस बात की भी पुष्टि की है कि कोई भी सत्तारूढ़ दल जनता की समस्याओं को अपने झूठ और फरेब के जरिए बहुत दिनों तक नजरअंदाज नहीं कर सकता।

अवधनामा (15 जून) ने लोकसभा के चुनाव परिणाम और मंत्रिमंडल के गठन पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि देश के इतिहास में पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई मुसलमान शामिल नहीं है। हिंदुत्व की दावेदार भाजपा को इन चुनावों में मुंह की खानी पड़ी है और उसे संसद में स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया। इसमें दलितों और मुसलमानों की भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता है। वर्तमान सरकार ने हिंदुस्तानी मुसलमानों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझा और उनको मिटाने के लिए कोई भी कदम उठाने से गुरेज नहीं किया। भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार इससे पहले भी बनी थी। इसके मंत्रिमंडल में शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बासी नकवी जैसे मुस्लिम नेता भी शामिल थे। खुद प्रधानमंत्री मोदी की पहली सरकार में नजमा हेपतुल्ला, एमजे अकबर और मुख्तार अब्बास नकवी मंत्री रहे। इसके बाद मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। हैरानी की बात यह है कि अब इस देश के किसी भी राज्य में एक भी मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं है।

मुंबई उर्दू न्यूज (17 जून) ने कहा है कि मोदी का घमंड टूट गया है और 400 पार का दावा धूल में मिल गया है। कुल मिलाकर इन नतीजों ने साबित कर दिया है कि तानाशाही व नफरत पर आधारित राजनीति की कमर टूट गई है और लोकतंत्र की जीत हुई है। मोदी ने खुद को भाजपा का एकमात्र चेहरा बनाकर पेश किया था। मोदी है तो मुमकिन है का नशा अब उतर गया है। भाजपा को पिछली बार के मुकाबले इस बार 63 सीटें कम मिली हैं। जबकि कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 52 सीटें ही जीत पाई थी। वह इस बार 99 तक पहुंच गई है। अगर कांग्रेसी नेता आपस में नहीं उलझते तो इसमें और भी वृद्धि हो सकती थी। सत्ता के लालच में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू चुनाव से पहले ही एनडीए में शामिल हो गए थे। अपने पिछले दो कार्यकाल में मोदी ने एकतरफा फैसले लिए और उसे जनता पर जबरन लादा। शायद इस बार इस तरह का तानाशाही रवैया मोदी का नहीं रहेगा। हालांकि, जिस तरह से मंत्रिमंडल में महत्त्वपूर्ण विभाग भाजपा के मंत्रियों को मिले हैं उससे यह संकेत मिलता है कि महत्त्वपूर्ण फैसलों में भाजपा की राय को महत्व दिया जाएगा। यह इतना आसान भी नहीं है जितना समझा जा रहा है। मोदी अपनी पार्टी के किसी अन्य नेता को प्रधानमंत्री का पद सौंपने के लिए तैयार ही नहीं थे। मोदी के आगे भाजपा के सभी नेताओं ने घुटने टेक दिए और उन्हें एनडीए का नेता मान लिया गया। मंत्रिमंडल के गठन के नियमों के तहत लोकसभा की कुल सीटों के 15 प्रतिशत हिस्से को मंत्री बनाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में नवगठित केंद्र सरकार में मंत्रियों की संख्या 81 तक हो सकती थी। जबकि अभी सिर्फ 72 मंत्रियों ने ही शपथ ली है। ऐसे में मोदी जब चाहें वे 9 अन्य मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं। सबका साथ, सबका विकास का दावा करने वाले मोदी ने अपनी नई सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री को जगह नहीं दी है। ऐसा देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। इस देश में 20 करोड़ मुसलमान हैं, जो कुल जनसंख्या का 14 प्रतिशत हैं। उन्हें

मंत्रिमंडल में शामिल न करके यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि मोदी सरकार को मुसलमानों की कोई जरूरत नहीं है।

मुंबई उर्दू न्यूज (10 जून) के अनुसार महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में महा विकास अघाड़ी को शानदार सफलता मिली है, मगर मुसलमान खाली हाथ रह गए हैं। अब अगले कुछ ही महीने में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में मुसलमानों के सभी संगठनों और नेताओं को एकजुट होकर विधानसभा चुनाव की उम्मीदवारी में अपना हिस्सा लेने के लिए अभी से ही रणनीति बनानी शुरू कर देनी चाहिए।

मुंबई उर्दू न्यूज (6 जून) ने अपने संपादकीय में कहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए में बने रहने की घोषणा की है। यह इसलिए भी अच्छा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भले ही एनडीए का हिस्सा हों, लेकिन ये दोनों भाजपा की विचारधारा से बहुत दूर हैं। ये भाजपा के लिए बहुत बड़ा बोझ साबित हो सकते हैं। भाजपा इस बोझ को उठाने के लिए मजबूर है, क्योंकि उनके बिना उसकी सरकार नहीं बन सकती थी। लोगों को याद होगा कि चुनावी रैलियों में नरेन्द्र मोदी मुसलमानों को आरक्षण न देने की कसमें खा रहे थे। वहीं, चंद्रबाबू नायडू ने यह घोषणा की है कि वे मुसलमानों के आरक्षण को जारी रखेंगे। उनसे उम्मीद है कि वे संसद में भाजपा को अपनी मनमानी नहीं करने देंगे। नीतीश कुमार समाजवादी हैं और वे निश्चित रूप से भाजपा को अपने हिंदुत्ववादी एजेंडे को लागू करने की अनुमति नहीं देंगे। इस बार एनडीए की जो सरकार बनी है वह पहले की तरह मजबूत नहीं, बल्कि कमजोर होगी। कमजोर सरकार मनमानी करने की हिम्मत नहीं करती है।

हिंदुस्तान (10 जून) ने अपने संपादकीय में कहा है कि राम मंदिर बनाने के बावजूद भाजपा को लोकसभा के चुनाव में बहुमत नहीं मिला। भाजपा को उत्तर प्रदेश में 30 सीटों का नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश में 80 प्रतिशत हिंदू और 19 प्रतिशत मुसलमान हैं। अयोध्या की फैजाबाद सीट पर 85 प्रतिशत हिंदू और 15 प्रतिशत मुस्लिम हैं। वहां पर राम मंदिर बनाने के बावजूद भाजपा हार गई है। इससे साफ है कि हिंदुत्व के सहारे चुनाव नहीं जीता जा सकता। इस चुनाव की सबसे बड़ी बात यह है कि वे लोग भी चुनाव हार गए हैं जो अपने आप को अजेय समझते थे। मोदी-मोदी पुकारने वाले अब एनडीए-एनडीए पुकार रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने एक तीर से तीन शिकार किए हैं। पहला, समाजवादी पार्टी की इज्जत वापस दिलाई है। दूसरा, केंद्र की बेगैरत सरकार की ईंट से ईंट बजा दी है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में हिंदू-मुस्लिम वैमनस्य को खत्म करके पूरे देश की राजनीति को एक नया रूप दे दिया है। फासीवादियों के मुंह पर कालिख पोत दी है। अब थोड़ा बुलडोजर बाबा का भी जिक्र कर लेते हैं। वे बात-बात में बुलडोजर का जिक्र करते नहीं थकते थे। अब एक पैगाम उनके नाम भी है। अब इंशा-अल्लाह मुसलमान खुलकर अजान देगा और सार्वजनिक स्थानों पर नमाज भी पढ़ेगा। आप अपना बुलडोजर कहीं दूर फेंक आएं।

एतेमाद (9 जून) ने इस बात पर चिंता प्रकट की है कि लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिली है। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से 17 पर भाजपा ने जीत दर्ज की है और कांग्रेस सिर्फ नौ सीटें ही जीत पाई है। हालांकि, कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव में विधानसभा की 224 सीटों में से 134 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि, 2019 के मुकाबले उसे मिलने वाले वोटों में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जबकि भाजपा के वोटों का प्रतिशत 52 से घटकर 46 प्रतिशत ही रह गया है। राज्य के मुसलमानों को इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। उन्हें कोई ऐसा रास्ता

निकालना चाहिए, जिससे मुसलमानों के मजहब, उनकी अलग पहचान और उनकी सभ्यता व संस्कृति सुरक्षित रह सके।

एतेमाद (9 जून) ने कहा है कि इंडिया गठबंधन को हराने की धुन मायावती को ले डूबी है। मायावती ने हाल के चुनाव में लोकसभा की कई सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा था, लेकिन मुसलमानों ने उनके उम्मीदवारों को वोट नहीं दिए। ऐसा प्रतीत होता है कि मुसलमानों ने उन्हीं उम्मीदवारों को अपने मत दिए, जिनके बारे में वे समझते थे कि वे भाजपा को हरा सकते हैं। चुनाव से पहले मायावती को भी इंडिया गठबंधन में शामिल करने का प्रयास किया गया था ताकि भाजपा विरोधी मतों के विभाजन को रोका जा सके, लेकिन मायावती इस मुद्दे पर किसी से बातचीत तक करने के लिए तैयार नहीं हुई। भले ही वे यह दावा करें कि उन्हें यह आशा थी कि वे इन चुनावों में मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारकर भाजपा के उम्मीदवारों को सफल होने से रोक सकेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाजपा को रोकना तो दूर उन्होंने जाने या अनजाने में 16 सीटें भाजपा की झोली में डाल दी। नगीना सीट पर उनकी पार्टी के उम्मीदवार को युवा दलित नेता और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर ने बुरी तरह से हरा दिया। इस तरह से भाजपा को परोक्ष रूप से लाभ पहुंचाने का जो खेल मायावती ने खेला था वह विफल रहा। चंद्रशेखर की यह जीत मायावती की दलित राजनीति के लिए बड़े खतरे की घंटी है।

एतेमाद (9 जून) ने अपने लेख में नरेन्द्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा है अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। उसे इस बात का अहसास होने लगा है कि कोई है जो उससे भी ऊंचा है। वह बैसाखियों का मोहताज हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चुनावी अभियान में मुसलमानों को खुलकर अपना निशाना बनाया। राजस्थान के बांसवाड़ा में चुनावी भाषण देते हुए उन्होंने मुसलमानों को घुसपैठिए और ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला बताया। वहां पर भाजपा का उम्मीदवार दो लाख से भी अधिक मतों के अंतर से हार गया।

एतेमाद (8 जून) ने अपने संपादकीय में फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा की करार हार का उल्लेख करते हुए कहा है कि वैसे तो लोकसभा के चुनाव में भाजपा को कई महत्त्वपूर्ण सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन सबसे चौंकाने वाला नतीजा अयोध्या से आया है। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र, जहां पर राम मंदिर का निर्माण कराया गया वहीं भाजपा को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है।

मुंबई उर्दू न्यूज (7 जून) ने कहा है कि भाजपा को इन चुनावों में सांप्रदायिकता फैलाने का फायदा नहीं, बल्कि नुकसान हुआ है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि नरेन्द्र मोदी सरकार को तीन तलाक खत्म करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। 40 प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं ने अपने वोट कांग्रेस को दिए। इस देश की जनता का जोरदार थप्पड़ भाजपा और उसके नेताओं के मुंह पर पड़ा है। वह न तो मुस्लिम नेतृत्व को खत्म कर पाई है और न ही विपक्ष को कमजोर कर सकी है। अगर भाजपा देश की राजनीति में टिकना चाहती है तो उसे अपने सारे संघी एजेंडे को छोड़कर मुसलमानों

के खिलाफ जहरीले प्रचार पर रोक लगा देनी चाहिए।

अवधनामा (10 जून) के अनुसार भाजपा को पूर्ण बहुमत से सत्ता में आने से रोकने में मुसलमानों, ओबीसी और दलितों का सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने संसद की तस्वीर ही बदल डाली है। मुसलमानों ने एकजुट होकर अपने वोट इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में दिए। इससे भाजपा को बहुत सारी सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा। इस बार 24 मुस्लिम उम्मीदवार लोकसभा के लिए चुने गए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक चुनावी फॉर्मूला 'पीडीए' के नाम से बनाया था, जिसमें पिछड़े, दलित और मुसलमान शामिल थे। इसके कारण समाजवादी पार्टी के 37 उम्मीदवारों में से 20 ओबीसी, आठ दलित और चार मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। अयोध्या क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के दलित उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने भाजपा के सवर्ण उम्मीदवार लल्लू सिंह को हराया है।

विश्लेषकों का कहना है कि इस बार भाजपा को बहुत कम दलित वोट मिले हैं। जबकि 2019 के चुनाव में बीएसपी का वोट बैंक मोटे तौर पर भाजपा में चला गया था। उत्तर प्रदेश में 32 सीटें ऐसी हैं, जिनमें मुसलमानों की जनसंख्या 20-52 प्रतिशत है। इनमें से 28 पर आम तौर पर भाजपा ही जीतती रही है। इस बार दो सीटों को छोड़कर बाकी सभी पर भाजपा हार गई है। इस बार के चुनाव में सभी पार्टियों ने मुसलमानों को नजरअंदाज किया। यहां तक कि किसी भी पार्टी ने अपने चुनावी घोषणापत्र में मुसलमानों के लिए किसी भी नई योजना की घोषणा नहीं की, क्योंकि भाजपा ने ऐसा माहौल बना दिया था कि जो भी मुसलमानों के पक्ष में आवाज उठाएगा उसे गद्दार मान लिया जाएगा। हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीतिक तौर पर मुसलमानों की हैसियत खत्म कर दी थी। पहले हर पार्टी यह सोचती थी कि मुसलमान उससे नाराज न हो जाए, लेकिन 2014 के बाद मुसलमानों का नाम लेना भी राजनीतिक जुर्म बन गया।

जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर फुरकान कमर का कहना है कि ऐसे क्षेत्र, जिनमें मुसलमानों की संख्या अधिक थी और वे चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते थे उन्हें मोदी सरकार ने दलितों और ओबीसी के लिए आरक्षित कर दिया। इस बार मुसलमानों ने भावनाओं की धारा में बहने के बजाय बुद्धिमता से काम लिया और उनके वोट बिखरने से बच गए। भाजपा ने एक मुस्लिम उम्मीदवार अब्दुल सलाम को केरल के मलप्पुरम से मैदान में उतारा था। वे तीसरे स्थान पर रहे। वहां से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ईटी मोहम्मद बशीर चुनाव जीते हैं।

अवधनामा (9 जून) ने देश के मुसलमानों से अपील की है कि इस देश में कभी भी मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, इसलिए उन्हें विपक्ष को जीत दिलाने के लिए अभी से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।

अखबार-ए-मशरिक (10 जून) के अनुसार देश की कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने बलबूते पर बहुमत प्राप्त नहीं कर पाई है। भाजपा

इसलिए खुश है कि वह अपने सहयोगियों के सहयोग से फिर से सत्ता में आ गई है और कांग्रेस इसलिए खुश है कि उसे फिर से नई जिंदगी मिल गई है। बिहार के पाटलिपुत्र में राजद की जीत में मुस्लिम संगठन इमारत-ए-शरिया और खानकाह मुजीबिया का हाथ है। इनके प्रयासों से मुसलमानों ने मीसा भारती को थोक में वोट दिए। सिवान में राजद ने अगर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को टिकट दिया होता तो वह निश्चित रूप से जीत जातीं। बिहार में इंडिया गठबंधन को अपेक्षा से कम सफलता मिलने का कारण यादवों के वोटों में विभाजन है। उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में भाजपा इसलिए सफल रही है, क्योंकि वहां पर विपक्षी दल कमजोर थे। देश के इतिहास में पहली बार भाजपा उड़ीसा में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव जीतने में सफल रही है। यहां पर मोदी मैजिक नहीं था, लेकिन मोदी के भाषण का वह हिस्सा जनता के दिलो दिमाग में बैठ गया कि तुम उड़ीसा को तमिलनाडु के हवाले कर रहे हो। यह क्षेत्रवाद नवीन पटनायक के लिए बहुत महंगा पड़ा। असम में इंडिया गठबंधन के घटकों की आपसी लड़ाई के कारण मौलाना बदरुद्दीन अजमल बुरी तरह से हार गए। इसका कारण कांग्रेस और एआईयूडीएफ की आपसी लड़ाई थी। अगर अजमल इंडिया गठबंधन के साथ समझौता कर लेते तो उनकी यह दुर्गति नहीं होती।

जमात-ए-इस्लामी के मुखपत्र **रेडियंस** (22 जून) ने कहा है कि इन चुनावों में देश की जनता ने यह साफ कर दिया है कि वह सत्तारूढ़ दल द्वारा नफरती भाषणों, जनविरोधी नीतियों, सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग के दुरुपयोग को पसंद नहीं करती है। हाल के चुनाव परिणामों से मुसलमानों को राहत महसूस हो रही है, क्योंकि वे सरकार के सांप्रदायिक रवैये और भेदभाव की नीति से बेहद परेशान थे। उन्हें इस बात की चिंता है कि लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व नाम मात्र का है और पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में किसी भी मुस्लिम मंत्री को शामिल नहीं किया गया है।

उर्दू अखबारों में संघ प्रमुख के उद्‌बोधन की चर्चा

तासीर (13 जून) के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भाजपा और उसकी सरकार के बारे में कुछ बातें कहकर देश की जनता को चौंका दिया है। मोहन भागवत ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या संघ और भाजपा के बीच सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है? इस पर अनेक तरह की चर्चा चल रही है। इसमें संदेह नहीं कि जब भी भाजपा की नीतियों की बात होती है तो आरएसएस का जिक्र जरूर होता है। कहा जाता है कि भाजपा की हर नीति और हर फैसले में संघ की भूमिका होती है। संघ मार्गदर्शक सिद्धांत तय करता है और भाजपा उसे लागू करती है। 10 जून को नागपुर में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग के समापन समारोह में भाषण दिया था। इस दौरान उन्होंने भाजपा और उसकी सरकार का नाम लिए बिना कुछ ऐसी बातें कहीं, जिन्हें सुनकर लोग चौंक गए। चुनाव के संदर्भ में मोहन भागवत ने कहा

कि ऐसे अवसरों पर एक दूसरे पर बाजी मारने का प्रयास होता है। खूब प्रतियोगिता चलती है, लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है। इस बार का लोकसभा चुनाव ऐसे लड़ा गया जैसे यह चुनाव नहीं, बल्कि युद्ध हो। जिस तरह से दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला किया उससे सामाजिक और मानसिक दूरियां बढ़ीं। संसद में दो पक्ष जरूरी हैं, लेकिन हर हालत में दोनों पक्षों को मर्यादा को बरकरार रखना पड़ता है।

मोहन भागवत ने सरकार को सलाह देते हुए कहा कि विपक्ष को विरोधी पक्ष कहने के बजाय प्रतिपक्ष कहना उचित होगा। जो मर्यादा का सम्मान करते हुए काम करता है उसे घमंड नहीं होता और असली अर्थों में वही जनता का सेवक कहलाने का हकदार होता है। मणिपुर की चर्चा करते हुए भागवत ने कहा कि मणिपुर एक साल से शांति की प्रतीक्षा कर रहा है। पिछले दस सालों से वहां पर शांति थी, लेकिन अब वहां अशांति पैदा हो गई है या फिर करवाई गई है। मणिपुर आज भी आग में जल रहा है। इस पर कौन ध्यान देगा? जरूरी है कि प्राथमिकता के आधार पर इस समस्या का समाधान खोजा जाए। साफ है कि मोहन भागवत का यह संदेश केंद्र सरकार के लिए ही था। कुछ लोगों का मानना है कि संघ और भाजपा के बीच कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है।

समाचारपत्र ने कहा है कि चुनाव के दौरान भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बयान दिया था। इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में नड्डा ने कहा था कि पहले भाजपा को आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आज भाजपा अपने आप को चलाने के लिए सक्षम है। जब उनसे पूछा गया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में और वर्तमान दौर में कोई परिवर्तन हुआ है? इस पर नड्डा ने कहा कि प्रारंभ में हम कुछ अक्षम होंगे। तब आरएसएस की जरूरत थी, लेकिन आज हम बड़े और सक्षम हो गए हैं, इसलिए भाजपा अपने आप को चला रही है। यही अंतर है। क्या वास्तव में आरएसएस और भाजपा के बीच कुछ नाराजगी है? राजनीतिक विशलेषक भी इस सवाल का जवाब अपने-अपने ढंग से दे रहे हैं। कुछ का कहना है कि संघ और भाजपा हाईकमान के बीच के संबंध ज्यादा अच्छे

नहीं हैं। लोकसभा चुनाव में टिकटों के वितरण के दौरान इस बार संघ की उतनी नहीं चली जितनी पहले के चुनावों में चला करती थी।

नड्डा के बयान से भी संघ के कार्यकर्ताओं को आघात पहुंचा, इसलिए लोकसभा के चुनावी अभियान में संघ के स्वयंसेवकों ने पहली जैसी भूमिका नहीं निभाई। 'अबकी बार 400 पार' और 'मोदी की गारंटी' वाले माहौल में आरएसएस का कैडर पार्टी से नहीं जुड़ पाया। हालांकि, पार्टी से संबंधित विश्लेषक इस बात का खंडन करते हुए कहते हैं कि आरएसएस और भाजपा के संबंधों में कोई तनाव नहीं है। संघ प्रमुख ने सरकार के सामने पेश चुनौतियों के बारे में सिर्फ आगाह किया है। मणिपुर का उल्लेख भी इसी संदर्भ में किया गया है। आरएसएस और भाजपा के मामलों पर गहरी नजर रखने वाले विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा विवादित टिप्पणियों, लोकसभा उम्मीदवार के चयन में हुई धांधलियों और मणिपुर की परिस्थितियों के बारे में मोहन भागवत ने अपनी नाराजगी प्रकट की है।

समाचारपत्र ने दावा किया है कि मोहन भागवत को जो कुछ कहना था उसे वे बड़े सलीके से कह गए। सिर्फ इतना ही नहीं उन्होंने अपने संबोधन में सरकार में बैठे अहंकारी लोगों का ध्यान सभ्यतापूर्ण व्यवहार की ओर भी दिलाया है और इसे जनता ने बहुत पसंद किया है। हालांकि, यह हकीकत है कि हाल के चुनावों में भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सहयोग हेतु आरएसएस से संपर्क स्थापित नहीं किया था। भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जरूरत से ज्यादा आत्ममुग्धता और आत्मविश्वास था। सोशल मीडिया पर वे विपक्ष को अपना निशाना बनाते रहे। उनके इस घमंड ने उन्हें जमीन पर उतरने का मौका ही नहीं दिया। मोहन भागवत का यह संदेश इसी दिशा की ओर एक संकेत है।

रोजनामा सहारा (12 जून) ने अपने संपादकीय में कहा है कि पिछले दस सालों से आरएसएस की विचारधारा को कार्यान्वित करने के प्रयास में लगी मोदी सरकार को अब संघ से ही आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। नरेन्द्र मोदी की सरकार के शपथ लेने के बाद यह आशा व्यक्त की जा रही थी कि आरएसएस के नेता भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बधाई का संदेश भेजेंगे और यह विश्वास दिलाएंगे कि पहले की तरह ही उनका संगठन सरकार और भाजपा के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वह हो गया जिसकी आशा नहीं की जा रही थी। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने मोदी सरकार के कामकाज के तरीकों पर सवाल उठाते हुए मणिपुर में जारी अशांति के लिए मोदी सरकार को ही दोषी ठहरा दिया। मोहन भागवत ने समाज में बढ़ती हुई सांप्रदायिकता और लोकतंत्र के बारे में भी कई ऐसी बातें कहीं, जिसकी आशा मोदी सरकार को नहीं होगी।

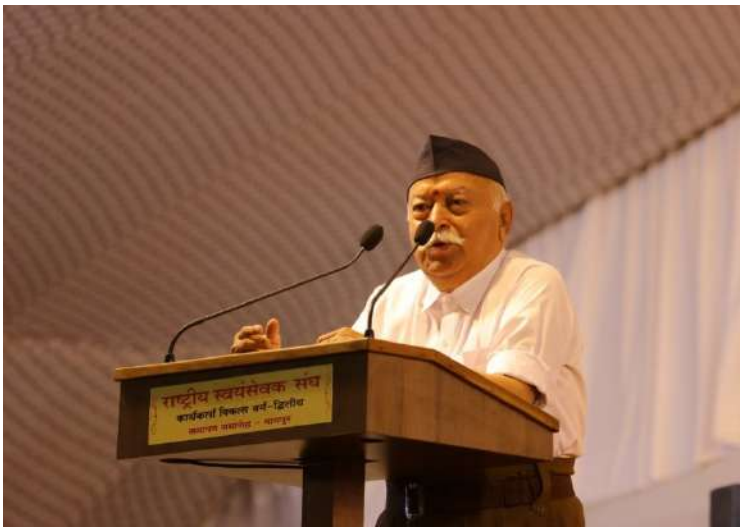

नागपुर में आरएसएस के एक समारोह को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि मणिपुर के लोग पिछले एक साल से शांति का इंतजार कर रहे हैं। पिछले दस सालों से राज्य में शांति थी, लेकिन अचानक राज्य में गन कल्चर एक बार फिर से बढ़ गया है। गौरतलब है कि मणिपुर में पिछले एक साल से हिंसा जारी है और पिछले तीन दिनों में वहां पर 52 लोग मारे गए हैं। पिछले साल मणिपुर में भीड़ ने दो महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया था उससे पूरा देश हिल गया था। वहां भड़की हिंसा के कारण 60 हजार से अधिक लोग बेघर हो चुके हैं। सैकड़ों मकान व दुकानें तबाह हो चुकी हैं। इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर नहीं गए हैं। मणिपुर में अभी भी जिस तरह से तनाव का माहौल है उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही वहां की समस्याओं का समाधान करने में विफल रही हैं या जानबूझकर उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

मोहन भागवत ने लोकतंत्र के हवाले से कई और भी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का जरूरी अंग है। चुनावों में दो पक्षों में मुकाबला होता है, लेकिन यह मुकाबला युद्ध नहीं है। इसमें झूठ का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन झूठ को तकनीक के माध्यम से पेश किया गया। ऐसा अभियान चलाया गया जो समाज में तनाव पैदा करने वाला था। आरएसएस जैसे संगठनों को भी इसमें घसीटा गया। चुनावों में मर्यादा के साथ प्रचार होना चाहिए, लेकिन इस बार के चुनाव में मर्यादा को बरकरार नहीं रखा गया। भागवत ने देश के बहुसांस्कृतिक ढांचे को समक्ष रखते हुए उस पर ध्यान देने का आग्रह किया है। मणिपुर के मामले में भाजपा और मोदी की खामोशी पर मोहन भागवत ने जो कुछ भी कहा है वह नई एनडीए सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है।

संघ प्रमुख ने अपने संबोधन में जिस तरह का रवैया दिखाया है उससे साफ है कि इस बार स्पष्ट बहुमत से दूर भाजपा को अपने सहयोगियों के साथ-साथ आरएसएस की आलोचना का सामना भी करना पड़ेगा। इस आलोचना का लक्ष्य सरकार को कमजोर करना नहीं होगा, क्योंकि भाजपा आरएसएस की कोख से जन्म लेने वाली एक राजनीतिक पार्टी है और वह देश को संघ की विचारधारा के अनुरूप चलाने का काम करती है। नागपुर में संघ प्रमुख के दिए गए बयान में प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना से यह नहीं समझना चाहिए कि दोनों के रिश्तों में कोई दरार आ गई है। सच तो यह है कि मोहन भागवत ने एक अभिभावक की भूमिका निभाते हुए भाजपा को संदेश देने का प्रयास किया है। मोहन भागवत ने भाजपा का ध्यान उसकी गलतियों की ओर दिलाया है ताकि भविष्य में पार्टी सतर्क रहे और उसे इसका कोई राजनीतिक खामियाजा न उठाना पड़े।

इंकलाब (14 जून) में प्रकाशित एक लेख में सिराज नकवी ने कहा है कि मोहन भागवत ने जो कुछ कहा है वह सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेन्द्र

मोदी, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह पर लागू होता है। आरएसएस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि एक सच्चे सेवक में घमंड नहीं होता है। वह दूसरों को क्षति पहुंचाए बिना काम करता है और वही असली सेवक होने का हकदार है। मुझे नहीं मालूम कि जब मोहन भागवत अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहे थे तो उनके दिमाग में कोई खास चेहरा था या नहीं, लेकिन अगर आप इस बयान की रोशनी में भारतीय राजनीति के सभी वर्तमान नेताओं की कारगुजारी का निरीक्षण करेंगे तो फिर आपकी नजर मोदी, शाह और नड्डा जैसे नेताओं पर ही ठहर जाएगी। यह कहना ज्यादा उचित होगा कि इन नेताओं ने मर्यादा को भंग करने में सबसे ज्यादा भूमिका निभाई है। शायद भाजपा के इतिहास में यह पहला मौका था जब पार्टी के किसी अध्यक्ष ने खुले तौर पर यह दावा किया कि अब भाजपा को आरएसएस की जरूरत नहीं है। नड्डा के बड़बोलेपन का असर यह हुआ कि अन्य चुनावों की तरह इस बार संघ के स्वयंसेवकों ने चुनावी अभियान में सक्रियता नहीं दिखाई।

मोहन भागवत ने यह भी कहा कि चुनावी अभियान झूठ पर आधारित नहीं होना चाहिए और हाल के चुनावों में मर्यादा को ध्यान में नहीं रखा गया। उनके इस बयान से यह सवाल पैदा होता है कि आखिर वे कौन लोग थे, जिन्होंने चुनावी अभियान में आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए झूठ बोलने के नए रिकॉर्ड बनाए और चुनावी माहौल में जहर घोलने का काम किया। अगर प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी बयानों का निरीक्षण करें तो यह साफ हो जाएगा कि भागवत का इशारा किस ओर था। मोहन भागवत ने अपने बयान में यह भी कहा कि जब चुनाव होता है तो मुकाबला जरूरी होता है और इस दौरान एक दूसरे को पीछे धकेलना होता है, लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है। यह मुकाबला झूठ पर आधारित नहीं होना चाहिए। लोग संसद में जाने के लिए चुने जाते हैं और संसद में विभिन्न मुद्दों पर सहमति बनाने की हमारी परंपरा है।

अब भागवत के इस बयान के तराजू में मोदी के अमल को देखिए। विपक्ष के साथ सहमति बनाने की बात तो खैर छोड़ ही दीजिए। मोदी ने तो अपनी पार्टी, अपने मंत्रिमंडल और संबंधित विभाग के मंत्री की राय को भी कभी भाव नहीं दिया। याद कीजिए, जब नोटबंदी का निर्णय लिया गया तो इसकी सूचना वित्त मंत्री तक को नहीं थी। इसी तरह से कश्मीर से धारा 370 को हटाने के बारे में भी संसद में कोई चर्चा नहीं हुई और गृह मंत्री ने इसकी घोषणा कर दी, जैसे इस पर एकमात्र उनका अधिकार था। हद तो यह है कि जम्मू-कश्मीर की जनता से और वहां की विधानसभा में इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई। मोदी के शासनकाल में ऐसे अनेक फैसले हुए जिन पर न तो संसद में चर्चा की जरूरत महसूस की गई और न ही संबंधित मंत्री की राय को ही महत्व दिया गया, बल्कि सिर्फ दो मंत्री ही सभी फैसले करते रहे। अर्थात् जिस आम सहमति की राजनीति का उल्लेख मोहन भागवत ने किया है उसे मोदी सरकार ने कभी कोई महत्व ही नहीं दिया। फिर चुनावों में भी विपक्ष से राजनीतिक युद्ध में झूठ का अंधाधुंध सहारा लिया गया। त्रासदी यह है कि अधिकांश संवैधानिक संस्थाओं ने भी इस मामले में चुप्पी साध ली और इस तरह से शासक वर्ग मतभेद को दुश्मनी में बदलने का प्रयास करता रहा। इसके कारण हमारे लोकतांत्रिक ढांचे के सामने अनेक चुनौतियां खड़ी हो गईं।

मोहन भागवत ने इस मुद्दे पर भी अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि अगर कोई आपकी राय से सहमत नहीं है तो उसे विरोधी कहना बंद कीजिए। मोदी के दस साल के शासनकाल में राजनीतिक विरोधियों के साथ वही व्यवहार किया गया, जो किसी सबसे बड़े शत्रु या सजायाफ्ता अपराधी के साथ कानूनी व्यवस्था में किया जाता

है। शासक दल के साथ राजनीतिक गठबंधन करने वालों के तमाम गुनाह और भ्रष्टाचार को माफ कर दिया गया और अलग राय रखने वालों को जेलों में डाल दिया गया। स्वयं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने शासनकाल में सहमति, उदारवाद और राजनीतिक नैतिकता की जो परंपरा स्थापित की थी उसे भी मोदी सरकार ने बुरी तरह से बर्बाद कर दिया।

मोहन भागवत ने अपने भाषण में मणिपुर का भी उल्लेख किया है। इस बात का स्पष्टीकरण देने की कोई जरूरत नहीं है कि बिना नाम लिए यह बात किससे कही जा रही है? कौन है जिसने मणिपुर के भीषण हालात पर एक शब्द भी नहीं बोला? इन सभी बातों पर अब मुंह खोलने वाले मोहन भागवत या उनका संगठन भी कम जिम्मेदार नहीं है। जो बात भागवत आज कह रहे हैं वह उन्होंने उस समय क्यों नहीं कही जब तमाम विपक्षी दल इस मामले में मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। वे क्यों मणिपुर को जलते हुए खामोशी से देखते रहे? वे किसके डर से घमंडी शासकों को वह मशवरा नहीं दे सके, जो अब समय गुजरने और भाजपा को पाताल में पहुंचाने वाले नेतृत्व को जनता द्वारा सजा देने के बाद दे रहे हैं। हकीकत यह है कि अब मोहन भागवत का यह पछतावा फिजूल है।

औरंगाबाद टाइम्स (14 जून) के अनुसार शिवसेना के अखबार 'सामना' ने अपने संपादकीय में कहा है कि क्या मोहन भागवत की नसीहत से भाजपा का वर्तमान चरित्र बदलने वाला है? समाचारपत्र ने लिखा है कि संघ के स्वयंसेवकों ने भाजपा को उसकी वर्तमान स्थिति में पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत की है, लेकिन पिछले दस सालों में मोदी और शाह ने संघ को केवल अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए इस्तेमाल किया। इस जोड़ी ने यह दिखाया है कि इस्तेमाल करो और फेंको, वरना भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा को यह कहने की हिम्मत कैसे हुई कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह बयान मोदी और अमित शाह के इशारे पर दिया है। मोदी और शाह के शासनकाल में संघ की शक्ति घटी है और भाजपा 2024 के चुनाव में मोदी और शाह के घमंड की वजह से हारी है।

मुंबई उर्दू न्यूज (13 जून) में प्रकाशित एक लेख में कहा गया है कि क्या संघ को मोदी और भाजपा का अहंकार आज दिखाई दिया है? भागवत को मणिपुर पर बोलने में 400 दिन क्यों लगे? ऑर्गनाइजर में पहले भी इस तरह के लेख प्रकाशित किए जा सकते थे। अब आप 20 साल पीछे जाकर देखें। 2004 में कहा गया था कि संघ अटल सरकार से नाराज है, इसलिए सत्ता बदल गई है। इस तरह की बातें आरएसएस ही फैलाता है, क्योंकि संघ हमेशा सत्ता पर नियंत्रण चाहता है। जैसे ही केंद्र में भाजपा कमजोर होती है तो संघ जाल फेंक कर यह प्रचार करता है कि संघ भाजपा से नाराज है, लेकिन हकीकत कुछ और है। अगर देखा जाए तो मोदी ने आज तक एक भी ऐसा फैसला नहीं किया है, जो संघ की विचाराधारा के अनुरूप न हो। मोदी सरकार के

सारे काम संघ कार्यालय में तैयार प्रारूप के अनुसार किए गए। यह सब राजनीति है। संघ विचारधारा के लोगों का शुरू से ही सरकारी तंत्र में घुसपैठ रही है। आज संघ द्वारा मोदी सरकार के साथ मतभेद का जो दिखावा किया जा रहा है उसका एक मात्र लक्ष्य यह है कि मोदी सरकार की गलतियों से अपना दामन छुड़ाकर जनता की सहानुभूति प्राप्त की जाए।

रोजनामा सहारा (14 जून) के समूह संपादक अब्दुल माजिद निजामी ने अपने लेख में कहा है कि नागपुर के रेशिम बाग स्थित डॉ. हेडगेवार स्मृति भवन में आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिनसे अंदाजा होता है कि वे भाजपा हाईकमान से खुश नहीं हैं। वे इस बात से भी नाखुश नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव को जंग के मैदान में बदलकर विपक्षी दलों के खिलाफ तथ्यहीन और असभ्य बातें कहीं। इन सभी बातों से अधिक जो बात भागवत के भाषण में चौंकाने वाली थी वह यह कि उन्होंने अपने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि इस्लाम और ईसाइयत में जो अच्छाई और मानवता की शिक्षा है उसे गले लगाना चाहिए। तमाम धर्मों को मानने वालों को चाहिए कि वे एक दूसरे को भाई-बहन की तरह सम्मान की नजर से देखें।

निजामी ने लिखा है कि जो लोग इसमें रुचि रखते हैं उन्हें मोहन भागवत के संपूर्ण भाषण को और अधिक गहराई से समझना चाहिए। उनके भाषण का बुनियादी पहलू तो यह है कि आरएसएस ने भाजपा को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि वह चुनावी जीत के आधार पर स्वयं को संघ की परिधि से ऊपर रखने का प्रयास हरगिज न करे। इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को विशेष रूप से फटकार लगाई गई है। भागवत ने इस भाषण के जरिए नड्डा से भी अधिक मोदी का कद छोटा किया है, जिन्होंने मर्यादा, संस्कृति और सच की सभी सीमाओं को लांघकर चुनावों को जंग के मैदान में बदल दिया था। संघ परिवार को नरेन्द्र मोदी का यह रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए भागवत ने सार्वजनिक रूप से अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की है। भागवत ने इस बात पर जोर दिया है कि सत्ता की प्राप्ति संघ के लिए केवल एक माध्यम है। जबकि इसके विपरीत नरेन्द्र मोदी ने अपने दस वर्षीय शासनकाल में हर पल यह प्रकट किया है कि सत्ता ही उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य है, इसलिए उन्होंने हर चीज को अपने व्यक्तित्व की ओर केंद्रित कर दिया था। नरेन्द्र मोदी की हमेशा यह इच्छा रही है कि वे स्वयं को इतना बुलंद बना लें कि हर व्यक्ति और संगठन उनके सामने बौना महसूस करे। ऐसा करना मोदी की व्यक्तिगत और उनसे जुड़े लोगों के लिए लाभदायक हो सकता है, लेकिन संघ परिवार के लिए हिंदुत्व की दृष्टि से देश को एकजुट रखना ज्यादा महत्त्वपूर्ण है।

संघ का यह प्रयास है कि समाज के विभिन्न वर्गों को एक दूसरे के नजदीक लाया जाए और पुराने विवादों को नजरअंदाज करके एक ऐसा सामाजिक ढांचा बनाया जाए, जिसमें इतिहास एक बोझ बनने के बजाय समझौते की राह पर अग्रसर हो सके। वहीं, मोदी विपक्षी पार्टियों और देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ ऐसी बातें करते नजर आए हैं, जिससे समाज में एकता के बजाय विघटन का माहौल बनता है और देश की अखंडता खतरे में पड़ती है। भागवत इस दृष्टिकोण पर जोर देते आए हैं कि भूतकाल की कटुताओं को भुलाकर आपसी प्रेम और सद्भाव के रिश्तों को परवान चढ़ाया जाए। तमाम धर्मों और संस्कृतियों को मानने वाले एक दूसरे का सम्मान करें। अब देखना यह होगा कि स्वयं संघ परिवार किस हद तक इन बातों को कार्यान्वित करता है। अगर भागवत अपनी बातों में गंभीर हैं तो उन्हें इस बात का प्रयास करना चाहिए कि मुसलमानों और

ईसाई अल्पसंख्यकों के धर्म, उपासना पद्धतियों, रहन-सहन और वेशभूषा के खिलाफ जहर उगलने के सिलसिले को रोकने में अपनी भूमिका निभाएं। जहां तक प्रधानमंत्री मोदी और उनके राजनीतिक सहयोगियों का संबंध है, इस देश की जनता ने उन्हें यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि इस देश के लोग उनकी राजनीति से सहमति नहीं रखते हैं।

अखबार-ए-मशरिक (13 जून) ने अपने संपादकीय में कहा है कि मोहन भागवत ने परोक्ष रूप से मोदी सरकार को सलाह दी है। उन्होंने मोदी द्वारा जहर उगलने और मुसलमानों को निशाना बनाए जाने के बाद जख्मों पर मरहम लगाने की भी कोशिश की है। मोहन भागवत का यह कहना सही है कि चुनाव कोई युद्ध नहीं, बल्कि एक तरह की प्रतियोगिता है। उन्होंने कहा कि जनता ने एनडीए को जनादेश दिया है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। जनता द्वारा जो लोग चुने गए हैं वे संसद में बैठेंगे और आपसी सहमति से देश चलाएंगे। हमें चुनावी बयानबाजी से निकलकर भविष्य के बारे में सोचना होगा। समाज में एकता को बरकरार रखना होगा। इस्लाम और ईसाइयत का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इन धर्मों में जो जनकल्याण और मानवता का उपदेश दिया गया है उसे अपनाया जाना चाहिए। काश! भागवत की बातें नफरत फैलाने वालों के दिलो दिमाग में समा जाए और देश में फिर से प्रेम और शांति का बोलबाला हो जाए।

सियासत (12 जून) ने अपने संपादकीय में कहा है कि संघ प्रमुख ने इस हकीकत से अपनी आंखें मूंद ली कि सत्ता में आने के बाद संघ प्रशिक्षित स्वयंसेवकों ने ही सबसे ज्यादा नफरत का प्रचार किया। इस बात को कौन नहीं जानता कि भाजपा आरएसएस का राजनीतिक प्रकोष्ठ है और आरएसएस के स्वयंसेवक हर चुनाव में भाजपा की सहायता करते आ रहे हैं।

उर्दू टाइम्स (12 जून) ने अपने संपादकीय में कहा है कि भले ही देर से सही पर मोहन भागवत ने पहली बार सरकार के अहंकार का श्लोक पढ़कर इसका मतलब समझाया है और कहा है कि घमंड और अहंकार किसी प्रधान सेवक के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि देश किसी एक राजनीतिक पार्टी का नहीं, बल्कि सभी राजनीतिक पार्टियों और विभिन्न विचारधारा वालों का है। सवाल यह है कि आखिर मोहन भागवत को ये बातें दस साल के बाद क्यों याद आई? जब सत्यपाल मलिक ने इस मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद की थी तो भागवत जी क्यों चुप रहे? क्या यह बयान मोहन भागवत को इसलिए देना पड़ा, क्योंकि भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि भाजपा को अब आरएसएस की जरूरत नहीं। इस पर हमने अपने संपादकीय में कहा था कि यह नड्डा नहीं, बल्कि भाजपा का पैसा बोल रहा है। मोहन भागवत ने एक सेवक में जो खूबियां गिनाई हैं वह तो नितिन गडकरी में भी अभी तक पाई जाती है। समाचारपत्र ने पूछा है कि क्या अहंकार करने वाले आरएसएस के कैडर के लोग नहीं है? मोहन भागवत ने काफी देर कर दी है। अब तक तो न जाने आरएसएस कार्यकर्ताओं की कितनी अहंकारी खेपें तैयार हो चुकी होंगी। इस अहंकार को कुचलने की जिम्मेदारी संघ प्रमुख पर है। क्या मोहन भागवत यह काम कर पाएंगे?

फिल्म 'हमारे बारह' की रिलीज की अनुमति

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अन्नू कपूर की फिल्म 'हमारे बारह' को 21 जून 2024 को रिलीज करने की अनुमति दे दी है।

इंकलाब (20 जून) के अनुसार फिल्म निर्माताओं ने विवादित फिल्म 'हमारे बारह' के कुछ अंशों को हटाने पर सहमति व्यक्त की है। इसके बाद बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इस फिल्म को रिलीज करने की अनुमति दे दी है। गौरतलब है कि कुछ मुस्लिम संगठनों ने अदालत में जनहित याचिका दायर करके इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी। उनका कहना था कि इस फिल्म में इस्लाम और मुस्लिम महिलाओं की तौहीन की गई है। फिल्म निर्माताओं ने अदालत को यह आश्वासन दिया है कि इस फिल्म को रिलीज करने से पहले वे उन आपत्तिजनक अंशों को हटा देंगे जिस पर याचिकाकर्ता ने आपत्ति दर्ज की है। फिल्म निर्माताओं ने याचिकाकर्ता की पसंद की धर्मार्थ संस्था को पांच लाख रुपये भुगतान करने पर भी सहमति जताई है।

इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाते हुए इस मामले को बॉम्बे उच्च न्यायालय के पास भेज दिया था।

इंकलाब (14 जून) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने इस्लाम, मुसलमान और मुस्लिम महिलाओं को आपत्तिजनक ढंग से पेश करने के कारण विवादित फिल्म 'हमारे बारह' की रिलीज पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा है कि उन्होंने फिल्म का ट्रेलर देखा है और वह काफी आक्रामक है। यूट्यूब पर भी जो कुछ पेश किया गया है वह आपत्तिजनक है। इसके बाद खंडपीठ ने इस संबंध में बॉम्बे उच्च न्यायालय में विचाराधीन मुकदमे का फैसला होने तक देशभर में इस फिल्म की रिलीज पर प्रतिबंध लगा दिया है। खंडपीठ ने बॉम्बे उच्च न्यायालय को यह भी

निर्देश दिया है कि वह याचिकाकर्ता अजहर बाशा तंबोली की याचिका पर जल्द सुनवाई करे। गौरतलब है कि याचिकाकर्ता तंबोली ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के खिलाफ बॉम्बे उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करके इस फिल्म के प्रमाणपत्र को रद्द करने और देशभर में इसकी रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया था कि यह फिल्म घोर आपत्तिजनक है और सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 की भावना का उल्लंघन करती है। इस फिल्म को रिलीज करने से संविधान की धारा 19 और 25 का भी उल्लंघन होगा।

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इस फिल्म पर निष्पक्ष रूप से राय देने के लिए एक तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। कमेटी द्वारा समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत न करने और फिल्म निर्माताओं द्वारा विवादित डायलॉग्स को हटाने का आश्वासन मिलने के बाद अदालत ने इस फिल्म को रिलीज करने की अनुमति दे दी थी। इसके खिलाफ याचिकाकर्ता अजहर बाशा तंबोली ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता की वकील फौजिया शकील ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने सीबीएफसी को इस मामले में कमेटी का गठन करने का निर्देश देकर गलती की है, क्योंकि बोर्ड इस विवाद में खुद एक पक्ष है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता को यह निर्देश दिया है कि वे इस मामले को बॉम्बे उच्च न्यायालय में उठा सकते हैं।

इससे पहले कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने राज्य में इस फिल्म की रिलीज पर प्रतिबंध लगा दिया था और यह तर्क दिया था कि इससे समाज में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है।

उर्दू टाइम्स (8 जून) के अनुसार कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अन्नू कपुर की फिल्म 'हमारे बारह' की रिलीज पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य सरकार ने यह फैसला विभिन्न संगठनों की याचिकाओं पर विचार करने और इस फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद लिया है। इसके अतिरिक्त यह फैसला इसलिए भी लिया गया है ताकि राज्य में सांप्रदायिक तनाव न बढ़े। सरकार ने यह निर्णय कर्नाटक सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1964 की धारा 15 के तहत लिया है। यह फिल्म लंबे समय से विवादों के केंद्र में रही है। कई लोगों का आरोप है कि यह फिल्म सांप्रदायिक प्रचार के लिए बनाई गई है। जबकि कुछ अन्य लोगों का कहना है कि यह फिल्म हमारे लिए परेशान करने वाली है और इसका प्रभाव वर्तमान नस्ल की मानसिकता पर पड़ सकता है। इस फिल्म का ट्रेलर 30 मई को रिलीज किया गया था, जिसे विवाद बढ़ने के बाद अचानक हटा लिया गया है। इससे पहले सीबीएफसी ने इस फिल्म को यू/ए प्रमाणपत्र दिया था। सीबीएफसी ने फिल्म के निर्माता को फिल्म का टाइटल बदलने और उसमें 21 संशोधन करने का निर्देश दिया था।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (7 जून) के अनुसार बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 14 जून तक इस फिल्म की रिलीज को स्थगित रखने का निर्देश दिया है। यह फिल्म 7 जून को रिलीज होने वाली थी। यह आदेश न्यायमूर्ति नितिन बोरकर और न्यायमूर्ति कमल खता की खंडपीठ ने दिया है। एक सामाजिक कार्यकर्ता अजहर बाशा तंबोली ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, जिसमें इस फिल्म के कुछ अंशों पर आपत्ति प्रकट की गई थी। उन्होंने कहा था कि इस फिल्म का जो ट्रेलर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया है वह आपत्तिजनक है और इससे उनकी भावना को ठेस पहुंची है। याचिका की सुनवाई के दौरान सीबीएफसी ने अदालत को बताया कि फिल्म की रिलीज के लिए प्रमाणपत्र देना उसकी जिम्मेवारी होती है। इस फिल्म के आपत्तिजनक अंशों को हटाने के बाद ही उसे रिलीज करने का प्रमाणपत्र जारी किया गया था। वहीं, यूट्यूब पर रिलीज होने वाले ट्रेलर पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता है।

अदालत ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद इस फिल्म के रिलीज को एक सप्ताह तक स्थगित रखने का निर्देश जारी किया और सेंसर बोर्ड को इस संबंध में शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि पहले इस फिल्म का नाम 'हम दो हमारे बारह' था, लेकिन कुछ मुस्लिम संगठनों की आपत्ति के बाद इसका नाम बदलकर 'हमारे बारह' रख दिया गया। सूचनाओं के अनुसार इस फिल्म में एक विशेष समुदाय को अपमानजनक ढंग से पेश किया गया है। इस फिल्म के निर्माता के खिलाफ मुंबई के एक थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। एक अन्य शिकायत के अनुसार इस फिल्म में काम करने वाले लोगों को अज्ञात लोगों द्वारा जान से मारने की निरंतर धमकियां दी जा रही हैं।

सहाफत (1 जून) के अनुसार फतेहपुरी मस्जिद के इमाम मुफ्ती मुकर्रम अहमद ने मांग की है कि फिल्म 'हमारे बारह' पर फौरन प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि इसमें इस्लाम, कुरान और हदीस की तौहीन की गई है। उन्होंने कहा कि यह फिल्म मुसलमानों के खिलाफ एक झूठा प्रोपेगेंडा है। इस फिल्म का लक्ष्य देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत की भावना पैदा करना है।

हमारा समाज (2 जून) के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए कहा है कि यह फिल्म सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाली और इस्लाम व मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने वाली है। इस फिल्म से देश की एकता और भाईचारे को खतरा पैदा हो सकता है। बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने इस बात पर हैरानी प्रकट की है कि सेंसर बोर्ड ने इस झूठे, भ्रामक और एक संप्रदाय को बदनाम करने वाली फिल्म को रिलीज करने की अनुमति कैसे दे दी है? उन्होंने कहा कि इन दिनों फिल्मों द्वारा इस्लाम और मुसलमानों की छवि को बिगाड़ने का अभियान चल रहा है। इस संदर्भ में 'केरल स्टोरी' और 'कश्मीर फाइल्स' का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस फिल्म में कुरान मजीद की एक आयत को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह फिल्म इसलिए बनाई गई है ताकि देश की बहुसंख्यक जनता में मुसलमानों का भय पैदा किया जाए और उसका राजनीतिक लाभ उठाया जाए। उन्होंने मांग की है कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर पर एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में मुकदमा चलाया जाए।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (26 मई) ने कहा है कि इस फिल्म द्वारा इस्लाम में महिलाओं की भूमिका को जानबूझकर बदनाम करने का प्रयास किया गया है और कुरान की आयतों को गलत ढंग से पेश किया गया है। इस फिल्म में खुलेआम मुसलमानों को निशाना बनाया गया है और उन पर यह आरोप लगाया गया है कि देश में बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए मुसलमान दोषी हैं।

हिंदुस्तान (26 मई) के अनुसार यह फिल्म मुसलमानों को बदनाम करने के लिए बनाई गई है। इसमें कुरान और शरिया का मजाक उड़ाया गया है और मुसलमानों का चरित्र हनन किया गया है। इस फिल्म में यह दावा किया गया है कि

इस्लाम में महिलाओं के साथ अत्याचार किया जाता है और उनका इस्तेमाल सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए ही किया जाता है।

हमारा समाज (21 मई) में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का एक लेख प्रकाशित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि हिंदू धर्म में नियोग द्वारा बच्चे पैदा करने की वकालत की जाती है। इससे साफ है कि हिंदू धर्म में महिलाओं को सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन माना जाता है। हैरानी की बात है कि इसका उल्लेख करने के बजाय इस फिल्म द्वारा मुसलमानों और इस्लाम को सुनियोजित तरीके से बदनाम किया गया है। मुसलमानों को इस फिल्म के खिलाफ संयुक्त रूप से आवाज उठानी चाहिए और सरकार से यह मांग करनी चाहिए कि वह इस फिल्म पर फौरन प्रतिबंध लगाए।

लोकसभा के लिए 24 मुस्लिम सांसद निर्वाचित

मुंबई उर्दू न्यूज (5 जून) के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव में 24 मुस्लिम सांसद निर्वाचित हुए हैं। इनमें से 21 सांसदों का संबंध विपक्षी गठबंधन इंडिया से है। कांग्रेस के टिकट पर सात मुसलमान चुने गए हैं। जबकि तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर पांच, समाजवादी पार्टी के टिकट पर चार, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के टिकट पर तीन और नेशनल कांफ्रेंस के टिकट पर दो मुस्लिम चुनाव जीते हैं। इसके अतिरिक्त ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, बारामूला से निर्दलीय इंजीनियर राशिद और लद्दाख से मोहम्मद हनीफा भी

निर्वाचित हुए हैं, जो इन दोनों गठबंधनों में शामिल नहीं हैं। इस तरह से इस बार जो मुस्लिम सांसद निर्वाचित हुए हैं उनकी कुल भागीदारी 4.42 प्रतिशत है।

अगर पिछले चार दशक की बात करें तो सबसे ज्यादा 49 मुस्लिम सांसद 1980 में चुने गए थे। 1984 में इनकी संख्या घटकर 45 हो गई। इसके बाद कभी भी मुस्लिम सांसदों की संख्या ने 40 का आंकड़ा पार नहीं किया और उनकी भागीदारी पांच प्रतिशत तक ही सीमित रही। जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में मुसलमानों की जनसंख्या लगभग 14 प्रतिशत है। लोकसभा सचिवालय के आंकड़ों के अनुसार 1952 में 25 मुस्लिम सांसद लोकसभा के लिए चुने गए थे। 1957 में इनकी संख्या घटकर 23 रह गई। 1962 में 26 मुस्लिम सांसद लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। 1967 में इनकी संख्या 28, 1971 में 28, 1977 में 32, 1980 में 49, 1984 में 45, 1989 में 33, 1991 में 29, 1996 में 27, 1998 में 28, 1999 में 32, 2004 में 35, 2009 में 28, 2014 में 23 और 2019 में 26 थी।

अगर पिछले दो लोकसभा के चुनावों की बात करें तो कांग्रेस ने 2019 में 34 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जिनमें से 4 निर्वाचित हुए थे। वहीं, 2024 में पार्टी ने 19 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे, जिनमें से सात सफल हुए। बहुजन समाज पार्टी ने 2019 में 39 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, जिनमें से तीन जीते थे। वहीं, 2024 में पार्टी ने 37 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, लेकिन कोई नहीं जीत पाया। तृणमूल कांग्रेस ने 2019 में 13 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जिनमें से चार जीते थे। जबकि 2024 में पार्टी ने छह मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए, जिनमें से पांच जीते। समाजवादी पार्टी ने 2019 में आठ मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, जिनमें से तीन ने जीत दर्ज की थी। जबकि पार्टी ने 2024 में चार मुस्लिम उम्मीदवार उतारे और सभी सफल रहे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 2019 में नौ मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, जिनमें से सिर्फ एक ही जीत पाया। जबकि 2024 में पार्टी ने 10 उम्मीदवार मैदाने में उतारे, जिनमें से कोई नहीं जीता। 2019 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने चार मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, जिनमें से सभी हार गए। 2024 में पार्टी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा। राष्ट्रीय जनता दल ने 2019 में पांच मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, लेकिन सभी हार गए। 2024 में पार्टी ने दो मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, लेकिन कोई नहीं जीता। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 2019 में तीन मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जिनमें से एक विजयी रहा। 2024 के चुनाव में पार्टी ने दो मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे और दोनों हार गए। एआईएडीएमके ने 2019 में तीन मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, लेकिन एक भी उम्मीदवार ने जीत दर्ज नहीं की। 2024 में पार्टी ने एक मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा किया, लेकिन वह भी हार गया। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में तीन मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन तीनों हार गए। 2024 में पार्टी ने एक मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा, लेकिन वह भी हार गया।

समाचारपत्र ने दावा किया है कि हाल के लोकसभा चुनावों में कई लोकप्रिय मुस्लिम सांसदों को हार का सामना करना पड़ा है। इनमें एआईयूडीएफ के मौलाना बदरुद्दीन अजमल, कांग्रेस के कुंवर दानिश अली, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इम्तियाज जलील, नेशनल कांफ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती का नाम उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त सिवान से स्वर्गीय शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब, किशनगंज से अख्तरुल ईमान और मधुबनी से अली अशरफ फातमी भी चुनाव हार गए हैं।

जीतने वाले मुस्लिम उम्मीदवारों में हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी, कैराना से इकरा हसन, सहारनपुर से इमरान मसूद, रामपुर से मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी, संभल से जियाउर रहमान बर्क, गाजीपुर से अफजाल अंसारी, बहरामपुर से यूसुफ पठान, बारामूला से इंजीनियर रशीद, श्रीनगर से सैयद रुहुल्लाह मेहदी, अनंतनाग-राजौरी से मियां अल्ताफ अहमद, लद्दाख से मोहम्मद हनीफा, धुबरी से रकीबुल हुसैन, जंगीपुर से खलीलुर रहमान, उलुबेरिया से सजदा अहमद, मुर्शिदाबाद से अबू ताहिर खान, मालदा दक्षिण से ईशा खान चौधरी, कटिहार से तारिक अनवर, किशनगंज से मोहम्मद जावेद, मलप्पुरम से ईटी मोहम्मद बशीर, पोन्नानी से डॉ. अब्दुस्समद समदानी, रामनाथपुरम से नवसकानी के., वडकारा से शफी परम्बिल, लक्षद्वीप से मोहम्मद हमदुल्लाह सईद और बशीरहाट से हाजी नूरुल इस्लाम शामिल हैं। भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार एक मस्जिद के इमाम मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी रामपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित हुए हैं। मौलाना नदवी संसद भवन के सामने स्थित जामा मस्जिद के इमाम हैं।

सियासत (14 जून) ने अपने संपादकीय में संसद में मुसलमानों के घटते हुए प्रतिनिधित्व पर चिंता प्रकट करते हुए कहा है कि हालांकि इस समय मुसलमान देश की जनसंख्या का 15 प्रतिशत हैं, लेकिन संसद में उनका प्रतिनिधित्व सिर्फ चार प्रतिशत है। इस बार कांग्रेस के मुस्लिम सांसदों की संख्या में वृद्धि हुई है। हालांकि, भाजपा संसद में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, लेकिन उसका एक भी मुस्लिम सांसद लोकसभा के लिए निर्वाचित नहीं हुआ है। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि नरेन्द्र मोदी के सत्ता में आने के बाद न केवल संसद और विधानसभा, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में मुसलमानों को बुरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। असम और केरल से लोकसभा में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कम हुआ है। इसका कारण यह है कि मुसलमानों ने संगठित रूप से चुनाव में कोई रणनीति तैयार नहीं की थी।

अवधनामा (14 जून) ने कहा है कि हालांकि, भाजपा के सांसद के रूप में कोई मुसलमान निर्वाचित नहीं हुआ है, लेकिन अगर एनडीए के अन्य घटक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर दबाव डालते तो वे किसी कद्दावर मुस्लिम नेता को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते थे। जैसा कि उन्होंने सिख समुदाय के एक नेता जो चुनाव हार गया था उसे भी अपने मंत्रिमंडल में जगह दी है। एनडीए में शामिल घटक दलों की मुसलमानों के प्रति सहानुभूति सिर्फ दिखावा ही है।

हिंदुस्तान (13 जून) ने अपने संपादकीय में इस बात पर चिंता प्रकट की है कि महाराष्ट्र से एक भी मुसलमान लोकसभा के लिए निर्वाचित नहीं हो पाया है, लेकिन मुसलमानों को इसका कोई अहसास नहीं है। जब मुसलमानों को इसका अहसास ही नहीं है तो इस पर दूसरों से कोई आशा रखना मृगमरीचिका की तरह है। वे देख रहे

हैं कि मुसलमान लोकतंत्र और सेक्युलरिज्म को बरकरार रखने के लिए मुर्दा घोड़ों के इस रथ को अपनी पूरी शक्ति से खींच रहे हैं। मुसलमानों को यह समझ लेना चाहिए कि कोई भी उनके अधिकार को उनकी झोली में नहीं डाल देगा, बल्कि उन्हें अपने अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष करना होगा।

इंकलाब (13 जून) ने अपने संपादकीय में कहा है कि अगर नीतीश या नायडू चाहते तो केंद्र सरकार पर दबाव डालकर अपने कोटे से किसी भी मुसलमान को मंत्री बनवा सकते थे। जो बाद में चुनाव जीत जाता या फिर उसे राज्य सभा के लिए निर्वाचित करवा दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह बात सिर्फ इसलिए कही जा रही है कि ये दल खुद को अल्पसंख्यकों का दोस्त करार देते रहे हैं। क्या उनकी यह नीति सिर्फ उन्हीं के राज्यों तक सीमित है? केंद्र में उनके पास कई दूसरे काम हैं, जो शायद मुस्लिम दोस्ती निभाने से ज्यादा महत्त्वपूर्ण है। वरना मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। सिर्फ मुस्लिम मंत्री मुमकिन नहीं है।

जफरुल इस्लाम खान मुस्लिम मजलिस–ए–मुशावरत के अध्यक्ष निर्वाचित

हमारा समाज (12 जून) के अनुसार भारतीय मुसलमानों के लगभग 80 संगठनों द्वारा बनाए गए ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत की जनरल बॉडी का अधिवेशन दिल्ली के निजामुद्दीन में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में डॉ. जफरुल इस्लाम खान को दो साल के लिए इसका अध्यक्ष निर्वाचित कर लिया गया। उन्हें यह अधिकार दिया गया कि वे संगठन के संविधान में आपसी सहमति से संशोधन करें, जिसे मुशावरत के अगले अधिवेशन में मंजूरी दी जाएगी। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव में हाल में हुए लोकसभा के चुनाव परिणामों पर संतोष प्रकट किया गया। प्रस्ताव में कहा गया कि देश के मतदाताओं ने जिस तरह से नफरत की राजनीति को ठुकरा दिया है उससे यह स्पष्ट हो गया है कि इस देश में अब भी सेक्युलरवादी तत्व बहुमत में हैं और उन्हें संविधान में पूरा विश्वास है। प्रस्ताव में कहा गया कि हाल के चुनाव में देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए मुसलमानों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए देश की सेक्युलर पार्टियों को मुसलमानों की समस्याओं के समाधान के लिए स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। देश के सिर्फ 40 प्रतिशत लोगों ने ही नफरत फैलाने वालों के पक्ष में अपने मत दिए हैं। जबकि 60 प्रतिशत लोगों ने नफरत की राजनीति को ठुकरा दिया है।

अधिवेशन में देश की सेक्युलर राजनीतिक पार्टियों से यह अनुरोध किया गया कि छोटे-मोटे आपसी मतभेद भुलाकर वे एकजुट हों ताकि देश में वास्ताविक लोकतंत्र को फिर से स्थापित किया जा सके। जो तत्व मुसलमानों को राष्ट्रीय धारा से अलग-थलग करने और उन्हें खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे तत्वों की मुशावरत घोर निंदा करता है और मुसलमानों से अनुरोध करता है कि वे देश व मिल्लत के हित में नफरत की इस राजनीति का डटकर विरोध करें। प्रस्ताव में इस बात की निंदा की गई है कि कुछ तत्व पिछले दस सालों से मुसलमानों को राजनीतिक तौर पर खत्म करने और उन्हें देश की राजनीति में हाशिए पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। गोहत्या, लव जिहाद और धर्मांतरण आदि फर्जी समस्याएं खड़ी करके उनके खिलाफ मॉब लिंचिंग का माहौल बनाया जा रहा है।

प्रस्ताव में इस बात पर संतोष प्रकट किया गया है कि मुसलमानों ने ऐसे सभी सांप्रदायिक प्रयासों को शांति व धैर्य के साथ सहन किया और

कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की, जिससे प्रशासन को मुसलमानों का उत्पीड़न करने का मौका मिल जाए। मुसलमानों को अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने और कुरान से संबंध जोड़ने के साथ-साथ यह प्रयास करना चाहिए कि मुसलमानों का बहुमुखी विकास हो सके। इसमें शिक्षा और व्यापार दोनों शामिल हैं। मुशावरत ने मुसलमानों से अपील की है कि सरकार के बढ़ते हुए जुल्मो सितम को रोकने के लिए वे कानून का सहारा लें और पीड़ितों की सहायता के लिए एकजुट होकर सामने आएं।

एक अन्य प्रस्ताव में गाजा में इजरायली अतिक्रमण और नरसंहार की निंदा की गई और कहा गया कि मुस्लिम देश इस मामले पर मूकदर्शक बने हुए हैं। उनका यह रवैया घोर निंदनीय है।

सहाफत (12 जून) के अनुसार इस बैठक में मोहम्मद अदीब (पूर्व सांसद), अब्दुल खालिक (असम), ख्वाजा मोहम्मद शाहिद (उत्तर प्रदेश), डॉ. बसीर अहमद खान (उत्तर प्रदेश), अब्दुल अजीज (कोलकाता), उजमा नाहिद (मुंबई), मुफ्ती अताउर रहमान कासमी (दिल्ली), मासूम मुरादाबादी (दिल्ली), प्रो. मोहम्मद सुलेमान (कानपुर), कमाल फारूकी (दिल्ली), मोहम्मद वजीर अंसारी (मध्य प्रदेश), डॉ. सैयद मेहरुल हसन (भोपाल), काजी जैनुस साजिदीन (मेरठ), प्रो. अर्शी खान (अलीगढ़) कौसर उस्मान (लखनऊ), नदीम सिद्दीकी (फैजाबाद), हसीब अहमद (मध्य प्रदेश) अब्दुल बातिन (असम), शबीह अहमद (दिल्ली), अबरार अहमद मक्की, शाहिद शरीफ शेख (मुंबई), अखलाक हुसैन चिश्ती (राजस्थान), हाफिज मंजूर अली खान (जयपुर), मोहम्मद इकबाल जफर (बिहार), मौलाना सऊदुल हसन नदवी (गाजीपुर), सिकंदर हयात खान (मऊ), मोहम्मद जमीलुर रहमान (मालेरकोटला), सैयद तहसीन अहमद (हैदराबाद), डॉ. सैयद अहमद खान (चेन्नई), सुहैल अंजुम (दिल्ली) और डॉ. जावेद अहमद (दिल्ली) का नाम उल्लेखनीय है।

पृष्ठभूमि : जहां तक ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत का संबंध है, हमारे अधिकांश पाठक इसकी पृष्ठभूमि से अवगत नहीं हैं, इसलिए इसके बारे में विस्तृत जानकारी देना बेहद जरूरी है। 1963 में कोलकाता, जमशेदपुर

और राउरकेला में जबर्दस्त दंगे हुए थे। इसके बाद देश के विभिन्न मुस्लिम नेताओं ने कोलकाता में हुई एक बैठक में यह फैसला किया कि भारतीय मुसलमानों की समस्याओं के समाधान के लिए देश के विभिन्न मुस्लिम संगठनों को एक मंच पर इकट्ठा किया जाए। इसके बाद अगस्त 1964 में लखनऊ स्थित दारुल उलूम नदवा में देश के 100 से अधिक मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई। इस बैठक में विभिन्न मुस्लिम फिरकों और संगठनों से संबंधित प्रतिनिधि एक मंच पर इकट्ठे हुए। इनमें अहले सुन्नत, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया, बोहरा, जमीयत उलेमा-ए-हिंद, जमात-ए-इस्लामी, इमारत-ए-शरिया, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तामीर-ए-मिल्लत, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आदि शामिल थे। इस बैठक की अध्यक्षता दारुल उलूम नदवा के तत्कालीन प्रमुख मौलाना अबुल हसन नदवी ने की।

बताया जाता है कि इस संगठन को बनाया जाना कांग्रेस को पसंद नहीं आया। कांग्रेस हाईकमान का मत था कि मुसलमानों के लिए एक अलग संगठन बनाना कांग्रेस के हितों के विपरीत है। यही कारण है कि कांग्रेस हाईकमान के दबाव पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद महमूद और कांग्रेस से जुड़े कई नेताओं ने इस संगठन से त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस समर्थक मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा ने भी इस नए संगठन से अलग होने की घोषणा कर डाली। मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत के नेताओं ने अबुल हसन नदवी से अनुरोध किया कि वे इस संगठन की अध्यक्षता को स्वीकार कर लें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उनके अनुरोध पर जमीयत उलेमा के एक पुराने नेता मुफ्ती अतीकुर रहमान उस्मानी को मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

इस संगठन के राजनीति में भाग लेने के प्रश्न पर इसके घटकों में गंभीर मतभेद थे। इसके बाद इससे जुड़े एक घटक के नेता डॉ. अब्दुल जलील फरीदी ने 2 जून 1967 को मुस्लिम मजलिस नामक एक नए राजनीतिक संगठन बनाने की घोषणा की। मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत ने यह प्रयास किया कि विभिन्न मुस्लिम संगठन लोकसभा के लिए संयुक्त रूप से अपने उम्मीदवार खड़े करें, लेकिन इस पर सहमति न बनने के कारण यह प्रयास सफल नहीं हो सका। 1978 में दिल्ली में मुशावरत का एक अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में मुसलमानों की समस्याओं जैसे आरएसएस के बढ़ते हुए प्रभाव, सांप्रदायिक दंगों, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप आदि मुद्दों पर विचार किया गया। इससे पहले आपातकाल लागू होते ही मुशावरत के महामंत्री युसूफ सिद्दीकी को गिरफ्तार करके अंबाला जेल भेज दिया गया। जेल में ही उनका निधन हो गया। 1979 में मौलाना अहमद अली कासमी को मुशावरत का नया महामंत्री नियुक्त किया गया। इसी दौरान मुफ्ती अतीकुर रहमान का 1982 में निधन हो गया। मुशावरत के काम-काज को चलाने के लिए दो उपाध्यक्ष शेख जुल्फिकार उल्लाह और सैयद शहाबुद्दीन बनाए गए। मुशावरत ने जमात-ए-इस्लामी के अध्यक्ष मौलाना अबुल लाईस इस्लाही से अनुरोध किया कि वे मुशावरत

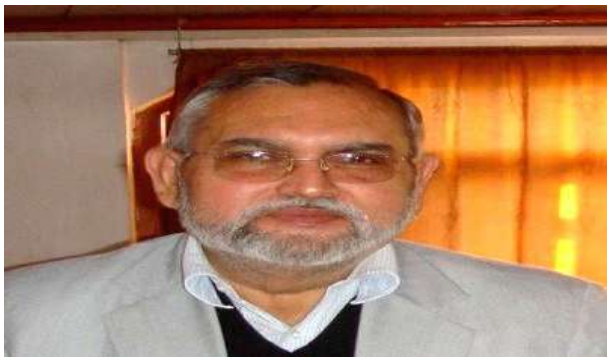

के अध्यक्ष का कार्यभार संभालें, लेकिन वे इसके लिए तैयार नहीं हुए।

1983 में असम के नेल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए। इसी दौरान भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने उन मस्जिदों में नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया, जो पुरातत्व विभाग के नियंत्रण में थीं। इसका मुशावरत ने विरोध किया। इसी दौरान सैयद शहाबुद्दीन मुशावरत के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। अक्टूबर 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने एक अध्यादेश जारी करके बाबरी मस्जिद और उससे संबंधित कब्रिस्तान की भूमि को अपने अधिकार में ले लिया। इसका मुशावरत ने कड़ा विरोध किया। 1992 में मुशावरत में शामिल कुछ लोगों ने एक समानांतर संगठन मिल्ली काउंसिल बना डाला। इससे मजलिस-ए-मुशावरत को भारी धक्का लगा। फरवरी 1993 में यह फैसला किया गया कि मुशावरत का पुनर्गठन किया जाए, लेकिन यह प्रयास विफल रहा। मुशावरत के अध्यक्ष सैयद शहाबुद्दीन ने इस संगठन के संस्थापक मौलाना अबुल हसन नदवी को 1995 में एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि मुशावरत नाम का संगठन खत्म हो चुका है। अब जो संगठन चलाया जा रहा है वह अवैध है और उसका संचालन जुल्फिकार उल्लाह, मौलाना अहमद अली कासमी और मोहम्मद काजमी द्वारा किया जा रहा है। शहाबुद्दीन ने आरोप लगाया कि बाबरी मस्जिद की बहाली के लिए जो फंड इकट्ठा किया गया था उसे नाजायज तरीके से मुशावरत पर खर्च किया जा रहा है। 1995 में एक दूसरे पर फंड में हेराफेरी करने के गंभीर आरोप लगाए गए।

18 नवंबर 1995 को मुशावरत की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें मुशावरत के 68 सदस्यों में से 47 ने भाग लिया। इस बैठक में मौलाना सलीम कासमी को मुशावरत का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जबकि जमात-ए-इस्लामी के शफी मूनिस महामंत्री बनाए गए। मौलाना जुनैद अहमद बनारसी, कोषाध्यक्ष और असदुद्दीन ओवैसी को सचिव बनाया गया। इसके बाद मुशावरत दो समानांतर संगठनों में विभाजित हो गया। एक संगठन के अध्यक्ष मौलाना सलीम कासमी और दूसरे संगठन के अध्यक्ष सैयद शहाबुद्दीन बन गए। जून 2000 में सैयद शहाबुद्दीन ने मुशावरत का अध्यक्ष होने का दावा किया, लेकिन कुछ अन्य लोगों ने आरोप लगाया कि यह चुनाव गलत ढंग से हुआ है और सैयद शहाबुद्दीन जोड़ तोड़ करके अध्यक्ष बने हैं। 2013 में दोनों गुटों को इकट्ठा करने का प्रयास किया गया और सैयद शहाबुद्दीन ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने की घोषणा की। दिल्ली में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि भविष्य में मुशावरत के अध्यक्ष डॉ. जफरुल इस्लाम खान होंगे। जबकि मौलाना सलीम कासमी को सर्वोच्च मार्गदर्शन परिषद का अध्यक्ष घोषित किया गया।

जहां तक डॉ. जफरूल इस्लाम का संबंध है वे दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं। उनका जन्म 1948 में आजमगढ़ में हुआ था। वे विख्यात इस्लामी चिंतक मौलाना वहीदुद्दीन खान के बेटे हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा आजमगढ़ के एक इस्लामी मदरसे में हुई थी। बाद में उन्होंने दारुल उलूम नदवा और इस्लामी जगत के विश्वविख्यात विश्वविद्यालय अल-अजहर से उच्च शिक्षा प्राप्त की। ब्रिटेन के मैनचेस्टर विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी की डिग्री भी प्राप्त की है।

विभिन्न देशों से अफगान नागरिक निष्कासित

इंकलाब (6 जून) के अनुसार जर्मनी में एक अफगान नागरिक ने एक जर्मन पुलिस अधिकारी की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। अब इस घटना ने गंभीर रूप ले लिया है। इस घटना के बाद जर्मनी के अनेक स्थानों पर पुलिस और अफगान नागरिकों के बीच झड़पें हुई हैं। इन झड़पों में दो दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। अब जर्मनी सरकार ने अपने देश से अफगान नागरिकों को निष्कासित करने का फैसला किया है। जर्मनी की गृह मंत्री नैन्सी फेसर ने पत्रकारों को बताया कि जो लोग हमारी सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप ढलने में विफल रहे हैं और जर्मनी की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं उन्हें देश से निष्कासित करना बेहद जरूरी है। बताया जाता है कि जर्मन सरकार ने 550 से अधिक अफगान नागरिकों को अपने देश से निष्कासित करके उन्हें पुन: अफगानिस्तान भेजने का फैसला किया है।

हाल ही में जर्मनी के पश्चिमी नगर मैनहेम में इस्लाम विरोधी प्रदर्शनकारियों पर मुसलमानों की भीड़ ने हमला किया था। जब पुलिस ने हमलावरों को रोकने का प्रयास किया तो अफगान नागरिकों ने उन पर चाकुओं से हमला कर दिया। इस हमले में एक पुलिस अधिकारी की मौके पर ही मौत हो गई और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस हमले में इस्लाम विरोधी कई प्रदर्शनकारी भी घायल हुए हैं।

सियासत (12 जून) के अनुसार अफगानिस्तान सरकार ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान और ईरान से अफगान नागरिकों को जबरन निष्कासित किया जा रहा है। इन अफगान नागरिकों के अफगानिस्तान में पुनर्वास के लिए एक आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग के प्रवक्ता कारी यूसुफ अहमदी ने आरोप लगाया है कि इस साल के पहले पांच महीनों में पाकिस्तान और ईरान से चार लाख से अधिक अफगान नागरिकों को जबरन अफगानिस्तान भेजा गया है। इनमें से 75 प्रतिशत अफगान नागरिक पाकिस्तान से निष्कासित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हम इन अफगान नागरिकों को अपने देश में

फिर से बसाने हेतु हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक कठिनाईयों के चलते इसमें मुश्किलें आ रही हैं। अहमदी ने आरोप लगाया कि जिन अफगान नागरिकों को इन दोनों देशों से जबरन निष्कासित किया जा रहा है उनके पास वैध पासपोर्ट और वीजा भी हैं। दूसरी ओर, पाकिस्तान और ईरान सरकार का दावा है कि उनके देशों से उन्हीं अफगान नागरिकों को निष्कासित किया जा रहा है जिनके पास वैध पासपोर्ट या वीजा नहीं हैं।

गौरतलब है कि सबसे पहले पाकिस्तान ने अफगान नागरिकों को अपने देश से निष्कासित करने का फैसला किया था। इस कार्य के लिए विशेष सैन्य टुकड़ियों का गठन किया गया था। ये सैन्य टुकड़ियां पाकिस्तान के विभिन्न नगरों में छापे मारकर वहां पर रहने वाले अफगान नागरिकों का पता लगा रही हैं और उन्हें नजरबंदी शिविरों में रखा जा रहा है। इसके बाद उन्हें अफगानिस्तान भेजा जा रहा है। पाकिस्तान और ईरान का यह भी आरोप है कि ये अफगान नागरिक उनके देशों में आतंकी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त वे मादक पदार्थों की तस्करी में भी लिप्त हैं। हाल ही में ईरान और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से लगी अपनी सीमाओं को कांटेदार तारों से बंद कर दिया है और सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के पहरों में भारी वृद्धि की गई है ताकि अफगानिस्तान से होने वाले अवैध घुसपैठ को रोका जा सके।

तासीर (12 जून) के अनुसार पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने क्वेटा सीमा पर पाकिस्तान में अवैध रूप से दाखिल होने का प्रयास करने के आरोप में 85 अफगान नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तानी अखबार 'डॉन' के अनुसार इन लोगों के पास पासपोर्ट या वीजा नहीं थे।

मालदीव में इजरायलियों के प्रवेश पर प्रतिबंध

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (4 जून) के अनुसार मालदीव ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के अपने देश में दाखिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मालदीव सरकार ने यह फैसला गाजा में फिलिस्तीनी नागरिकों पर इजरायली हमले के खिलाफ किया है। प्रवक्ता के अनुसार मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने इस संबंध में एक विशेष फरमान जारी किया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति मुइज्जू ने 'फिलिस्तीन के साथ एकजुटता में मालदीववासी' नामक एक राष्ट्रीय धन उगाही अभियान भी शुरू किया है। इस फंड में जो धनराशि जमा होगी उसे फिलिस्तीनी जनता के लिए भिजवाया जाएगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार पिछले साल लगभग 11 हजार इजरायली नागरिकों ने मालदीव का दौरा किया था। जबकि इस साल के पहले चार महीनों में सिर्फ 528 इजरायली नागरिकों ने मालदीव का दौरा किया है। मालदीव की विपक्षी पार्टी और सत्तारूढ़ गठबंधन की ओर से राष्ट्रपति मुइज्जू पर

निरंतर यह दबाव डाला जा रहा था कि फिलिस्तीनियों पर किए गए इजरायली हमले के विरोध में इजरायली नागरिकों के मालदीव में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाए।

गौरतलब है कि 1990 तक मालदीव में इजरायलियों के प्रवेश पर प्रतिबंध था। बाद में इस प्रतिबंध को हटा लिया गया था। इजरायली विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि हमने मालदीव में रहने वाले सभी इजरायली नागरिकों को यह निर्देश दिया है कि वे फौरन स्वदेश वापस लौट आएं, क्योंकि वे अब वहां पर सुरक्षित नहीं हैं। मालदीव में इजरायलियों की सहायता करना इजरायल के लिए संभव नहीं होगा। कहा जाता है कि अल्जीरिया, बांग्लादेश, ब्रुनेई, ईरान, इराक, कुवैत, लेबनान, लीबिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, सीरिया और यमन ने भी इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा रखे हैं।

एतेमाद (4 जून) ने अपने संपादकीय में मालदीव द्वारा इजरायली नागरिकों के देश में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाने का स्वागत किया है। समाचारपत्र ने मालदीव को बधाई दी है कि उसने विश्वभर के इस्लामी देशों को साथ देने के लिए यह प्रतिबंध लगाया है। गौरतलब है कि मालदीव 1965 में ब्रिटेन की गुलामी से आजाद हुआ था। मालदीव जनसंख्या की दृष्टि से एशिया का सबसे छोटा देश है। यहां की 99 प्रतिशत जनसंख्या सुन्नी मुसलमानों की है। समाचारपत्र ने कहा है कि विश्वभर के देशों के विरोध के बावजूद इजरायल ने हाल ही में रफा के एक शिविर पर हमला किया और उसने यह घोषणा की कि इजरायल ने हमास के इस आखिरी गढ़ को भी समाप्त करने का फैसला किया है। बता दें कि रफा गाजा के दक्षिण में मिस्र की सीमा पर स्थित एक नगर है। रफा में 15 लाख से अधिक फिलिस्तीनी शरणार्थियों ने शरण ले रखी है। हाल ही में इजरायली सेना ने रफा पर हमले तेज कर दिए हैं।

समाचारपत्र ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि मालदीव ने इजरायली उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। उसने यह घोषणा की है कि मालदीव भविष्य में इजरायल के साथ किसी भी तरह का व्यापारिक संबंध नहीं रखेगा। समाचारपत्र ने कहा है कि हर साल दस लाख पर्यटक मालदीव का दौरा करते हैं और पर्यटन मालदीव की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। अभी तक हर साल औसतन 15 हजार इजरायली नागरिक मालदीव का दौरा करते थे।

खैबर पख्तूनख्वा में हुए बम धमाके में सात सैनिकों की मौत

उर्दू टाइम्स (11 जून) के अनुसार अफगानिस्तान सीमा के समीप स्थित पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक वाहन पर हुए आत्मघाती हमले में सात पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जिनमें एक उच्चाधिकारी भी शामिल था। पाकिस्तानी सेना के जनसंपर्क विभाग ने इस हमले की पुष्टि की है। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार यह हमला खैबर पख्तूनख्वा के लक्की मारवत जिले में हुआ है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने इस हमले पर संवेदना प्रकट करते हुए कहा है कि सरकार आतंकवाद का उन्मूलन करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस हमले के बाद सेना ने इस पूरे क्षेत्र में विशेष सैन्य अभियान शुरू कर दिया है और अनेक आतंकवादियों को हिरासत में लिया है। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि इस हमले के पीछे प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) का हाथ हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि अफगानिस्तान की भूमि का इस्तेमाल पाकिस्तान में आतंकवाद फैलाने के लिए किया जा रहा है। कुंडी ने कहा कि हमने कई बार अफगान

सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है, लेकिन इसके बावजूद उसने आतंकवादियों के खात्मे के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इससे दोनों देशों के संबंधों में तनाव पैदा हो रहा है। पाकिस्तान के सरकारी सूत्रों के अनुसार पिछले साल आतंकवादियों ने पाकिस्तानी सेना पर 28 आत्मघाती हमले किए थे। इन हमलों में 276 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे।

संयुक्त राष्ट्र ने चार तालिबान नेताओं पर लगा यात्रा प्रतिबंध हटाया

हमारा समाज (9 जून) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अफगानिस्तान के प्रमुख तालिबान नेताओं के विदेश दौरे पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उसे हटाने की घोषणा की गई है। जिन लोगों पर से यह प्रतिबंध हटाया गया है उनमें अफगानिस्तान के चार मंत्रियों अब्दुल कबीर मोहम्मद जान (उप प्रधानमंत्री), अब्दुल हक वासिक (खुफिया विभाग के निदेशक), नूर मोहम्मद साकिब (हज मामलों के मंत्री) और सिराजुद्दीन हक्कानी (गृह मंत्री) का नाम प्रमुख है। इस प्रतिबंध को इसलिए हटाया गया है ताकि ये अफगान नेता इस साल हज यात्रा पर जा सकें। गौरतलब है कि अमेरिका ने इन चारों नेताओं को आतंकवादी की श्रेणी में रखा है और इनके अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा हुआ है। हाल ही में इन तालिबान नेताओं ने संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया था और वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की थी। ऐसा प्रतीत होता है कि अब अमेरिका तालिबान के प्रति अपनी नीति में नरमी ला रहा है। अमेरिका अफगानिस्तान के साथ सामरिक और राजनीतिक मामलों में संपर्क बढ़ाना चाहता है।

गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने अफगानिस्तान के दो दर्जन से अधिक मंत्रियों व उच्चाधिकारियों को ब्लैक लिस्ट में शामिल कर रखा है और उनके विदेशों में प्रवेश पर प्रतिबंध है। अफगान सरकार ने संयुक्त राष्ट्र से अनेक बार इन प्रतिबंधों को हटाने की मांग की है, लेकिन अभी तक इन प्रतिबंधों को नहीं हटाया गया है। अमेरिका ने

सिराजुद्दीन हक्कानी की गिरफ्तारी के लिए एक करोड़ डॉलर का इनाम घोषित कर रखा है। जबकि अब्दुल हक वासिक चार वर्षों तक अमेरिका की ग्वांतानामो बे जेल में बंद रहे हैं। उन्हें 2014 में कुछ अमेरिकी बंधकों को छोड़ने के बदले में जेल से रिहा किया गया था। सिराजुद्दीन हक्कानी ने मक्का में अमेरिकी टेलीविजन चैनल 'सीएनएन' को दिए एक विशेष साक्षात्कार में बताया कि तालिबान अमेरिका के साथ अपने संबंधों को सुधारना चाहता है और इस संबंध में किसी भी तरह की पहल का वे स्वागत करेंगे। अरब मीडिया के अनुसार सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री ने जेद्दा हवाई अड्डे पर इन तालिबान नेताओं का स्वागत किया।

इंडोनेशिया में पैगंबर का अपमान करने पर सजा

हिंदुस्तान (14 जून) के अनुसार इंडोनेशिया में एक हास्य कलाकार को रसूल की तौहीन करने के आरोप में सात महीने की सजा सुनाई गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इंडोनेशिया के सुमात्रा प्रदेश में औलिया रहमान नामक एक हास्य कलाकार ने एक चुटकुला सुनाया था, जिसमें उसने इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद का मजाक बनाया गया था। रिपोर्ट के अनुसार रहमान ने मजाक में कहा था कि इंडोनेशिया में हर व्यक्ति के नाम के साथ मोहम्मद शब्द सम्मान की नीयत से लगाया जाता है, लेकिन लोग प्रायः इसके सम्मान का ध्यान नहीं रख पाते। इंडोनेशिया के संविधान में पैगंबर-ए-इस्लाम की तौहीन करने के दोषी व्यक्ति के लिए पांच साल सख्त कैद का प्रावधान है। क्योंकि इस मामले में रहमान ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए अदालत से माफी मांगी थी, इसलिए सरकारी वकील ने उसकी सजा की अवधि आठ महीने करने की मांग की थी, जिसे अदालत ने घटाकर सात महीने कर दिया था।

गौरतलब है कि दुनिया के अनेक इस्लामी देशों में रसूल और कुरान का अपमान करने वालों के लिए मौत की सजा से लेकर उम्रकैद तक का प्रावधान है। इसके साथ ही दोषी व्यक्ति को शरिया के अनुसार सार्वजनिक रूप से कोड़े मारने की सजा भी दी जाती है।

गाजा में युद्धविराम हेतु सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पारित

सहाफत (12 जून) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा में युद्धविराम हेतु एक प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। इस प्रस्ताव को अमेरिका की ओर से पेश किया गया था। डॉन न्यूज के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 14 ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। जबकि रूस ने मतदान में भाग नहीं लिया। अमेरिका द्वारा पेश इस प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया है कि दोनों पक्ष आपस में बातचीत करेंगे और इस दौरान गाजा में युद्धविराम जारी रहेगा। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनी प्रतिनिधि ने इस प्रस्ताव को सही दिशा में सकारात्मक कदम करार दिया है। हमास ने भी इसका समर्थन करते हुए कहा है कि वह गाजा में स्थाई युद्धविराम, इजरायली सेना की गाजा से पूर्ण वापसी और गाजा में जनसंख्या के अनुपात में किसी भी तरह के बदलाव के विरोध का समर्थक है। हमास यह भी चाहता है कि युद्ध पीड़ित लोगों को मानवीय आधार पर सहायता उपलब्ध कराई जाए। समाचारपत्र के अनुसार इस प्रस्ताव में तीन चरणीय दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है। पहला, बंधकों की रिहाई और कैदियों की अदला-बदली। दूसरा, गाजा से इजरायली सैनिकों की पूर्ण वापसी और तीसरा, गाजा के पुनर्निर्माण हेतु प्रयास।

रूस ने इस प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि अमेरिका के इस प्रस्ताव में पूर्ण युद्धविराम के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास से मांग की थी कि इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए। उन्होंने कहा था कि यह युद्ध को खत्म करने का सुनहरा अवसर है और हम इसे गंवा नहीं सकते। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि युद्धविराम के बदले में हमास सभी इजरायली बंधकों को रिहा करे और कैदियों की अदला-बदली की जाए। उन्होंने कहा था कि युद्धविराम के बाद लोगों को सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी और गाजा की आबादी वाले क्षेत्रों से इजरायली सैनिकों की पूर्ण वापसी होगी।

इंकलाब (13 जून) के अनुसार हमास और इस्लामी जिहाद के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने

कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल-थानी से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव के बारे में अपनी शर्तें लिखित रूप से पेश की है। इसकी पुष्टि तीन मध्यस्थ देशों मिस्र, कतर और अमेरिका ने भी की है। हमास के प्रवक्ता ने कहा है कि हमने अमेरिकी प्रस्ताव पर अपनी शर्तों के बारे में मध्यस्थ देशों को सूचित कर दिया है। इनमें से पहली शर्त यह है कि गाजा से सभी इजरायली सैनिकों को हटाकर उन्हें उनके पुराने स्थानों पर वापस भेजा जाए। दूसरी शर्त यह है कि युद्धविराम अस्थाई होने के बजाय स्थाई हो। तीसरी शर्त यह है कि हाल के युद्ध में जो फिलिस्तीनी गाजा के अपने घरों से बेघर हुए हैं उन्हें उसी जगह पर पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जाए।

गौरतलब है कि इजरायल अभी तक इन शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है। इजरायल सरकार ने कहा है कि वह सिर्फ कुछ विशेष क्षेत्रों से ही अपने सैनिकों को वापस बुलाएगी और गाजा के अन्य क्षेत्रों में उसकी सेना तैनात रहेगी। इसके अतिरिक्त इजरायल स्थाई युद्धविराम के लिए तैयार नहीं है। इजरायल ने इस बात पर भी जोर दिया है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को गाजा में पुनर्वास की सुविधाएं दी जाएंगी जो वृद्ध, महिलाएं और अनाथ बच्चे होंगे। अन्य फिलिस्तीनियों को उनके पुराने घरों में पुनर्वास की सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। उनके लिए फिलिस्तीन सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। ■

भीषण गर्मी के कारण लगभग 1500 हाजियों की मौत

अलजजीरा की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब सरकार द्वारा हज के अवसर पर भीषण गर्मी के निराकरण के लिए किए गए सभी प्रबंध पूर्णत: विफल हो गए हैं। सऊदी हज मंत्रालय के अनुसार इस साल लगभग डेढ़ हजार हाजियों ने भीषण गर्मी के कारण अपनी जान गंवा दी है। इनमें भारतीय हाजियों की संख्या लगभग 100 बताई जाती है।

उर्दू टाइम्स (10 जून) के अनुसार सऊदी अरब सरकार ने बिना पंजीकरण के हज पर आने वाले तीन लाख से अधिक लोगों को मक्का से बाहर निकाल दिया है। इसके साथ ही सऊदी सुरक्षा बलों ने बिना परमिट के मक्का में रहने वाले 1 लाख 71 हजार नागरिकों को अपनी हिरासत में ले लिया है। सऊदी सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि 2015 में मीना में हुई भगदड़ की पुनरावृत्ति न हो। सऊदी अरब में हज की शुरुआत हो चुकी है। दुनियाभर के विभिन्न देशों से 22 लाख से अधिक हज यात्री हज करने के लिए मक्का पहुंच चुके हैं। इसके अतिरिक्त चार हजार हज यात्रियों के हज परमिट को रद्द करने की भी घोषणा की गई है। सऊदी सरकार को यह कदम इसलिए उठाना पड़ा है, क्योंकि इन हाजियों ने विभिन्न तरह के टीके नहीं

लगवा रखे थे। सऊदी सुरक्षा एजेंसियों ने घोषणा की है कि हाजियों को चौबीसों घंटे अपने साथ नुसुक कार्ड रखना होगा। अगर किसी हाजी के पास यह डिजिटल कार्ड नहीं होगा तो उन्हें हज करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्हें दस हजार रियाल जुर्माना भी देना होगा।

उर्दू टाइम्स (6 जून) के अनुसार हज नियमों का उल्लंघन करने वाले 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें पांच सऊदी नागरिक भी शामिल हैं। इन्होंने गैरकानूनी तरीके से 28 लोगों को मक्का पहुंचाने का प्रयास किया था। इन लोगों को लाने वाले तीन वाहनों को भी जब्त कर लिया गया है। इन लोगों को सख्त कैद और जुर्माने की सजा दी जाएगी। वैज्ञानिकों ने इस साल के हज के दौरान कड़ी गर्मी पड़ने की संभावना जताई है, इसलिए हाजियों के लिए बनाए गए आवासों में वातानुकूलित व्यवस्था की गई है। इसके साथ-साथ सड़कों को सफेद रंग के विशेष पेंट से रंगा गया है ताकि झुलसा देने वाली धूप का असर कम हो सके और हाजियों को पैदल चलने में कोई परेशानी न हो। सऊदी सरकार का दावा है कि इस पेंटिंग के कारण तापमान में 15 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। सऊदी संवाद समिति 'अल अरेबिया' की रिपोर्ट के अनुसार हाजियों के बाल मूंडने के लिए 20 हजार नाइयों को परमिट प्रदान किए गए हैं और एक लाख टैक्सियों का भी प्रबंध किया गया है। हाजियों की सुविधा के लिए 128 भाषाओं को जानने वाले द्विभाषियों की भी व्यवस्था की गई है।

उर्दू टाइम्स (8 जून) के अनुसार मक्का और मस्जिद-ए-नबवी के प्रबंधक शेख अब्दुल रहमान अल-सुदैस ने कहा है कि इस वर्ष क्योंकि बड़ी संख्या में हाजी आ रहे हैं और मौसम भी काफी गर्म है, इसलिए यह जरूरी है कि नमाज और खुत्बा संक्षिप्त रूप से पढ़ाया जाए ताकि हाजियों को किसी तरह की परेशानी न हो।

उर्दू टाइम्स (10 जून) के अनुसार हाजियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनों को चलाने की घोषणा की गई है। इनकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और ये 20 मिनट में मीना और अराफात के बीच की दूरी तय कर सकेंगी। ये सभी ट्रेनें बिजली से चलने वाली हैं और इन्हें सऊदी सरकार ने विदेशों से मंगवाया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (10 जून) के अनुसार सऊदी सुरक्षा बलों ने चार लाख से अधिक विदेशियों को हिरासत में लेकर हिरासती शिविरों में रखा है। इन विदेशियों के पास हज के वीजा मौजूद नहीं थे। इसके अतिरिक्त दो लाख ऐसे विदेशियों को भी हिरासत में लिया गया है, जो विश्व के विभिन्न देशों से पर्यटक वीजा पर सऊदी अरब आए हुए थे।

इंकलाब (14 जून) के अनुसार मक्का, मदीना और हज से संबंधित अन्य क्षेत्रों में वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन क्षेत्रों में उन्हीं वाहनों को प्रवेश करने की अनुमति होगी जिन पर विशेष स्टीकर लगे होंगे।

एतेमाद (12 जून) के अनुसार हाजियों के लिए चौबीसों घंटे यातायात की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। मक्का, मदीना और अन्य स्थानों पर मोटरसाइकिलों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा

दिया गया है। सऊदी अरब सार्वजनिक सुरक्षा के निदेशक ने घोषणा की है कि फर्जी हाजियों को लाने वाली फर्जी हज कंपनियों के 200 से अधिक प्रबंधकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें से अधिकांश सऊदी अरब के नागरिक हैं। सऊदी सुरक्षा एजेंसियां अब तक 140 फर्जी हज कंपनियों का पता लगा चुकी हैं।

इंकलाब (14 जून) के अनुसार इस बार विश्व की 50 भाषाओं में हज का खुत्बा प्रसारित किया जाएगा। इनमें उर्दू भी शामिल है। इसके अतिरिक्त फ्रेंच, अंग्रेजी, फारसी, रूसी, तुर्की, चीनी, पंजाबी, पश्तो, मलय, स्वाहिली, स्पेनिश, पुर्तगाली, जर्मन, स्वीडिश, इटालियन, मलयालम, फिलिपीनो आदि भाषाओं में भी हज का खुत्बा प्रसारित किया जाएगा। विश्व भर के डेढ़ अरब से अधिक लोग हज के खुत्बे को सुन सकेंगे। विश्व के इतिहास में इससे पहले इतनी अधिक भाषाओं में एक साथ किसी भी कार्यक्रम का प्रसारण नहीं हुआ है।

उर्दू टाइम्स (11 जून) के अनुसार विश्वभर से आने वाले हज यात्रियों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सऊदी सेंट्रल बैंक ने विशेष व्यवस्था की है। हज यात्री विभिन्न देशों के अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग कार्ड का इस्तेमाल कर सकेंगे। अल अरेबिया के अनुसार हज यात्रियों के लिए देशभर में 110 मोबाइल बैंकिंग शाखाओं की भी व्यवस्था की गई है। ईद की छुट्टियों के दौरान भी सभी बैंकों की शाखाएं खुली रहेंगी। सऊदी सेंट्रल बैंक ने 1220 एटीएम केंद्रों की भी व्यवस्था की है। इनमें से मक्का में 633, मदीना में 568 और बाकी केंद्र हज से संबंधित अन्य क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं। इनमें वीजा कार्ड, मास्टरकार्ड, यूनियनपे, डिस्कवर, अमेरिकन एक्सप्रेस और गल्फ पेमेंट कंपनी अफाक नेटवर्क द्वारा जारी एटीएम कार्ड मान्य होंगे। इसके अतिरिक्त सऊदी सेंट्रल बैंक ने जेद्दा, मक्का और मदीना स्थित अपनी शाखाओं में पांच बिलियन रियाल मूल्यवर्ग के नोटों और सिक्कों को भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है ताकि किसी भी हाजी को बैंकिंग से संबंधित कोई परेशानी न हो। महिलाओं और विकलांग लोगों के लिए ई-स्कूटर इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है।

उर्दू टाइम्स (12 जून) के अनुसार सऊदी सरकार ने छूत से फैलने वाली बीमारियों का पता लगाने के लिए विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएं ली हैं। सऊदी स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि इसके लिए अत्याधुनिक उपकरणों और प्रयोगशालाओं की व्यवस्था की गई है।

सऊदी अरब में भ्रष्टाचार चरम पर

रोजनामा सहारा (15 जून) के अनुसार सऊदी सेना ने जेद्दा में कई आवासीय भवनों के ध्वस्त हो जाने की जांच शुरू कर दी है। बताया जाता है कि अब तक की जांच में यह संकेत मिले हैं कि इन भवनों के निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल की गई थी। जेद्दा के गवर्नर ने इस मामले की जांच की जिम्मेवारी भ्रष्टाचार निरोधक प्राधिकरण को सौंप दी है। बताया जाता है कि इन भवनों का निर्माण यमन के एक ठेकेदार द्वारा किया गया था। सऊदी सरकार के एक अंडर सेक्रेटरी फिरास हानी जमाल ने एक नोटिस जारी करके भवन निर्माण करने वाली कंपनी को फौरन निर्माण कार्य बंद करने का निर्देश दिया था। बाद में इंजीनियरिंग विभाग के कुछ कर्मचारियों ने ठेकेदार से 50 हजार रियाल की धनराशि वसूल की और भवन निर्माण करने की अनुमति दे दी। इस संबंध में 15 सरकारी कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि इस दुर्घटना में आठ व्यक्ति मारे गए थे और 12 घायल हो गए थे।

मुंबई उर्दू न्यूज (8 जून) के अनुसार सऊदी सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक प्राधिकरण ने यह दावा किया है कि भ्रष्टाचार के आरोप में 3124 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इन पर रिश्वत लेने, भ्रष्टाचार करने, सरकारी पद का गलत इस्तेमाल करने, मनी लॉन्ड्रिंग और जालसाजी के आरोप हैं। जालसाजी के आरोप में 1511 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अल अरेबिया.कॉम के अनुसार सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान के निर्देश पर देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चलाया गया है उसके तहत पिछले तीन वर्षों में 5235 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वित्तीय और प्रशासनिक भ्रष्टाचार के मामलों का पता लगाने के लिए एक विशेष विभाग बनाया गया है, जो सभी सरकारी और निजी संस्थानों पर निगरानी रखता है। गुप्तचर सूत्रों

द्वारा यह पता लगाया जा रहा है कि नियमों का उल्लंघन करके व्यक्तिगत लाभ या किसी व्यक्ति को अनुचित तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी फंड का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यह विभाग सभी अधिकारियों की गतिविधियों पर भी चौबीसों घंटे निगरानी रखता है।

पिछले तीन सालों में इस विभाग ने 28 हजार से अधिक मामलों की जांच की है ताकि सार्वजनिक कार्यों के ठेकों, जनकल्याण विभाग की गतिविधियों और विदेशों के साथ किए जाने वाले आर्थिक समझौतों में होने वाले भ्रष्टाचार का उन्मूलन किया जा सके। पिछले साल इस विभाग को भ्रष्टाचार से संबंधित 47 हजार गुप्त रिपोर्टें प्राप्त हुई थीं। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की रिपोर्टें रियाद में मिली हैं। विशेषज्ञ इन रिपोर्टों की बारिकी से जांच कर रहे हैं। सरकार ने दावा किया है कि भ्रष्टाचार निरोधक प्राधिकरण की सतर्कता के कारण भ्रष्टाचार से संबंधित रिपोर्टों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। अब तक एक लाख 65 हजार 526 रिपोर्टें प्राधिकरण को प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 47 हजार में काफी दम है। बाकी रिपोर्टों की बारिकी से जांच की जा रही है ताकि भ्रष्टाचारी तत्वों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके।

अमेरिका द्वारा तुर्किये को सैन्य विमानों की सप्लाई

इंकलाब (15 जून) के अनुसार तुर्किये के रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से एफ-16 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत तुर्किये को 40 नए एफ-16 लड़ाकू विमान मिलेंगे, जिनका मूल्य 23 बिलियन डॉलर होगा। जबकि 79 पुराने विमानों को अपग्रेड किया जाएगा। बताया जाता है कि इस संबंध में दोनों देशों के बीच काफी समय से

बातचीत चल रही थी, लेकिन क्योंकि तुर्किये की ओर से स्वीडन को नाटो संधि में शामिल करने का विरोध किया जा रहा था, इसलिए अमेरिका ने इस सौदे की मंजूरी नहीं दी थी। पिछले एक साल से यह मामला खटाई में पड़ा हुआ था।

गौरतलब है कि इस वर्ष के प्रारंभ में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने राष्ट्रपति को यह सूचना दी थी कि अमेरिका का इरादा तुर्किये को अत्याधुनिक लड़ाकू विमान एफ-16 बेचने का है। जबकि यूनान को 8.6 बिलियन डॉलर के 40 एफ-35 लड़ाकू विमान बेचने के बारे में हुए समझौते की जानकारी भी राष्ट्रपति को दी गई थी। बता दें कि तुर्किये की यह मांग थी कि अमेरिका स्वीडन को नाटो संधि में शामिल करने की अनुमति न दे, क्योंकि स्वीडन यूक्रेन को सहायता कर रहा है। इसके अतिरिक्त स्वीडन का रूख इस्लाम विरोधी भी है और हाल ही में उसने इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ कई कानून भी बनाए हैं। अब अमेरिका के दबाव पर तुर्किये ने अपनी नीति में कुछ परिवर्तन करने का फैसला किया है, जिसके कारण यह समझौता संभव हो सका है।

सोमालिया में इस्लामी आतंकवादियों द्वारा 55 लोगों की हत्या

सहाफत (11 जून) के अनुसार मध्य सोमालिया में अलकायदा से संबंधित इस्लामी आतंकी संगठन अल-शबाब ने कम-से-कम 55 लोगों की हत्या कर दी है। इस हमले में 200 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। ब्रिटिश संवाद समिति 'रॉयटर्स' के अनुसार सोमालिया की फेडरल सरकार ने अपनी सेना को अल-शबाब के खिलाफ सैन्य अभियान तेज करने का निर्देश दिया है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में दो कबीलों के बीच पानी और भूमि पर कब्जे को लेकर सशस्त्र संघर्ष शुरू होने के कारण स्थिति और भी बिगड़ गई है। एक कबीले के प्रमुख फराह नूर ने बताया कि अल-शबाब मारेहान कबीले को भूमि से बेदखल करने के लिए उस कबीले से संबंधित गांवों पर सामूहिक हमले कर रहा है। यह सिलसिला पिछले तीन महीने से जारी है और अब तक दोनों ओर के 300 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी सैनिक अल-शबाब के आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के बजाय उनकी गतिविधियों को नजरअंदाज कर रहे हैं, जिसके कारण स्थिति दिन-प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है और युद्ध का प्रसार अन्य क्षेत्रों में भी हो रहा है।

हेराले नगर में स्थित एक अस्पताल के अधिकारी ने बताया कि उनके अस्पताल में इतने शव इकट्ठे हो गए हैं कि उन्हें दफनाने में भारी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि जिस गति से विभिन्न इलाकों से शव आ रहे हैं उसके कारण इन शवों का पोस्टमार्टम करने के लिए हमारे पास पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं। गलमुदुग के गवर्नर ने कहा है कि इस युद्ध के पीछे अलकायदा से संबंधित आतंकी संगठन अल-शबाब का हाथ है। अल-शबाब को विदेशी स्रोतों से निरंतर हथियार और आर्थिक संसाधन उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके कारण सरकारी सेना अभी तक इस इस्लामी आतंकी संगठन का सफाया करने में विफल रही है।

RNI No. DELHIN/2017/72722

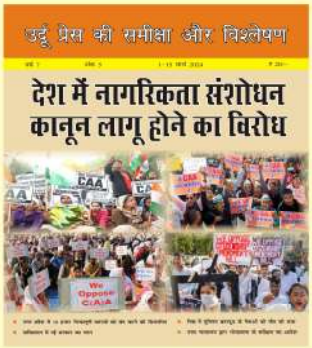

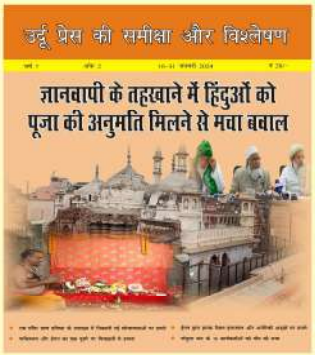

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in